उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या :51| /XXVII(8)/2017/9(120)/2017

देहरादून : दिनांक, 29 जून, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये 01 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होंगे ।

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 में नियम 26 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रख दिए जायेंगे, अर्थात् --

"अध्याय 4"

पूर्ति के मूल्य का अवधारण

27. माल और सेवाओं की पूर्ति का मूल्य, जहां प्रतिफल धन में नहीं है,- जहां माल या सेवाओं की पूर्ति ऐसे प्रतिफल के लिए है, जो पूर्णत: धन में नहीं है, वहां पूर्ति का मूल्य-

(क) ऐसी पूर्ति का खुला बाजार मूल्य होगा ;

(ख) यदि खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो धन में प्रतिफल की कुल रकम और धन की ऐसी और रकम होगा, जो ऐसे प्रतिफल, जो धन में नहीं है, के समतुल्य है, यदि ऐसी रकम पूर्ति के समय ज्ञात है ;

(ग) यदि पूर्ति का मूल्य खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अवधार्य नहीं है, तो उसी प्रकार और उसी क्वालिटी की माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य होगा ;

(घ) यदि मूल्य खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन अवधार्य नहीं है, तो धन में प्रतिफल की कुल राशि और धन में ऐसी और रकम होगा, जो नियम 30 या नियम 31 के लागू किए जाने से उस क्रम में यथा अवधारित ऐसे प्रतिफल के समतुल्य है, जो धन में नहीं है ।

दृष्टांत

(1) जहां किसी फोन की पूर्ति एक पुराने फोन के विनिमय के साथ बीस हजार रुपए में की जाती है और यदि नए फोन की कीमत विनिमय के बिना चौबीस हजार रुपए है, तो नए फोन का खुला बाजार मूल्य चौबीस हजार रुपए है ।

(2) जहां किसी लैपटाप की पूर्ति ऐसे प्रिन्टर की अदला-बदली के साथ चालीस हजार रुपए है, जो कि प्राप्तिकर्ता द्वारा विनिर्मित है और पूर्ति के समय प्रिन्टर का ज्ञात मूल्य चार हजार रुपए है किन्तु प्रिन्टर का खुला बाजार मूल्य ज्ञात नहीं है, वहां लैपटाप की पूर्ति का मूल्य चवालीस हजार रुपए है ।

28. किसी अभिकर्ता के माध्यम से पूर्ति किए जाने से सुभिन्न या संबंधित व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य- धारा 25 की उपधारा (4) और उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के बीच या जहां पूर्ति, अभिकर्ता के माध्यम से किए जाने से भिन्न, पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता संबंधित व्यक्ति हैं, वहां माल या सेवाओं या दोनों की

पूर्ति का मूल्य-

(क) ऐसी पूर्ति का खुला बाजार मूल्य होगा ;

(ख) यदि खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है तो उसी प्रकार और उसी क्वालिटी के माल या सेवाओं की पूर्ति का मूल्य होगा ;

(ग) यदि मूल्य खंड (क) या खंड (ख) में अवधार्य नहीं है तो उस क्रम में नियम 30 या नियम 31 के लागू किए जाने से यथा अवधारित मूल्य होगा :

परंतु जहां माल का इस रूप में प्राप्तिकर्ता द्वारा आगे और पूर्ति किया जाना आशयित है, वहां मूल्य, पूर्तिकार के विकल्प पर प्राप्तिकर्ता द्वारा उसके ऐसे ग्राहक को, जो संबंधित व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल की पूर्ति के लिए प्रभारित कीमत के नब्बे प्रतिशत के समतुल्य रकम होगा :

परन्तु यह और कि जहां प्राप्तिकर्ता पूर्ण इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, वहां बीजक में घोषित मूल्य को माल या सेवाओं का खुला बाजार मूल्य समझा जाएगा ।

29. किसी अभिकर्ता के माध्यम से माल की, की गई या प्राप्त पूर्ति का मूल्य - प्रधान या उसके अभिकर्ता के बीच माल की पूर्ति का मूल्य -

(क) पूर्ति किए गए माल का खुला बाजार मूल्य होगा, या पूर्तिकार के विकल्प पर प्राप्तिकर्ता द्वारा उसके ऐसे ग्राहक को, जो संबंधित व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल की पूर्ति के लिए प्रभारित कीमत के नब्बे प्रतिशत के समतुल्य रकम होगा, जहां उक्त प्राप्तिकर्ता द्वारा माल की आगे और पूर्ति किया जाना आशयित है ;

दृष्टांत : जहां कोई प्रधान, उसके अभिकर्ता को मूंगफली की पूर्ति करता है और अभिकर्ता पूर्ति के दिन उसी प्रकार और उसी क्वालिटी की मूंगफलियों की पूर्ति पश्चातवर्ती पूर्तियों में पांच हजार रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर कर रहा है । दूसरा स्वतंत्र पूर्तिकार उसी प्रकार और उसी क्वालिटी की मूंगफलियों की पूर्ति उक्त अभिकर्ता को चार हजार पांच सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर कर रहा है, वहां प्रधान द्वारा की गई पूर्ति का मूल्य चार हजार पांच सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल होगा या जहां वह विकल्प का प्रयोग करता है, वहां मूल्य पांच हजार रुपए का नब्बे प्रतिशत अर्थात् चार हजार पांच सौ रुपए प्रति क्विंटल होगा ;

(ख) जहां पूर्ति का मूल्य खंड (क) के अधीन अवधार्य नहीं है, वहां उसे उस क्रम में नियम 30 या नियम 31 को लागू करके अवधारित किया जाएगा ।

30. माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लागत पर आधारित मूल्य - जहां माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य इस अध्याय के पूर्ववर्ती किसी नियम द्वारा अवधार्य नहीं है, वहां मूल्य उत्पादन या विनिर्माण की लागत या ऐसे माल के अर्जन की लागत या ऐसी सेवाओं के प्रदान किए जाने की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा ।

31. माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के मूल्य के अवधारण की अवशिष्ट पद्धति - जहां माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य नियम 27 से नियम 30 के अधीन अवधारित नहीं किया जा सकता, वहां उसे धारा 15 के साधारण उपबंधों और सिद्धांतों और इस अध्याय के उपबंधों से संगत युक्तियुक्त साधनों का प्रयोग करके अवधारित किया जाएगा ।

परंतु सेवाओं की पूर्ति की दशा में, पूर्तिकार नियम 30 की अवज्ञा करते हुए इस नियम का विकल्प चुन सकेगा ।

32. कतिपय पूर्तियों की बाबत मूल्य का अवधारण- (1) इस अध्याय के उपबंधों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, नीचे विनिर्दिष्ट पूर्तियों की बाबत मूल्य पूर्तिकार के विकल्प पर इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में अवधारित किया जाएगा ।

(2) विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के संबंध में, जिसके अंतर्गत धन की अदला बदली भी है, सेवाओं की पूर्ति का मूल्य सेवा के पूर्तिकार द्वारा निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) किसी मुद्रा के लिए जब उसे भारतीय रुपए से विनिमय किया जाता है, मूल्य, यथास्थिति, क्रय दर या विक्रय दर और उस समय उस मुद्रा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निर्देश दर में अंतर को, मुद्रा की कुल इकाइयों से गुणा किए जाने के बराबर होगा :

परंतु उस दशा में, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की निर्देश दर किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां मूल्य धन की अदला-बदली करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए या प्राप्त किए गए भारतीय रुपए की सकल रकम का एक प्रतिशत होगा :

परंतु यह और कि उस दशा में, जहां विनिमय की जाने वाली कोई भी मुद्रा भारतीय नहीं है, वहां मूल्य दोनों रकमों में से उस कम रकम के एक प्रतिशत के बराबर होगा, जो उस दिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई निर्देश दर पर भारतीय रुपए में दोनों में से किसी मुद्रा को संपरिवर्तित करके धन की अदला-बदली करने वाला व्यक्ति प्राप्त करेगा :

परंतु यह भी कि सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष के लिए खंड (ख) के निबंधनानुसार मूल्य अभिनिश्चित करने के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा और ऐसा विकल्प उस वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा ।

(ख) सेवाओं के पूर्तिकार के विकल्प पर विदेशी मुद्रा की पूर्ति के संबंध में मूल्य, जिसके अंतर्गत धन की अदला-बदली भी है, निम्नलिखित होना समझा जाएगा-

(i) दो सौ पचास रुपए की न्यूनतम रकम के अध्यधीन एक लाख रुपए तक की किसी रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा के सकल रकम का एक प्रतिशत ;

(ii) एक लाख रुपए से अधिक और दस लाख रुपए तक की रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा की सकल रकम का आधा प्रतिशत और एक हजार रुपए; और

(iii) साठ हजार रुपए की अधिकतम रकम के अध्यधीन दस लाख रुपए से अधिक की रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा की सकल रकम का एक बटा दस प्रतिशत और पांच हजार पांच सौ रुपए ।

(3) वायुयान द्वारा यात्रा के लिए वायु यात्रा अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई टिकटों की बुकिंग के संबंध में सेवाओं की पूर्ति का मूल्य घरेलू बुकिंग की दशा में आधार किराए के पांच प्रतिशत की दर से संगणित रकम समझी जाएगी और वायुयान से यात्रा के लिए यात्री की अंतरराष्ट्रीय बुकिंग की दशा में आधार किराए के दस प्रतिशत की दर से संगणित रकम समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "आधार किराया" से वायुयान के किराए का वह भाग अभिप्रेत है, जिस पर एयरलाइन द्वारा वायु यात्रा अभिकर्ता को कमीशन सामान्यतया संदत्त किया जाता है ।

(4) जीवन बीमा कारबार के संबंध में सेवाओं की पूर्ति का मूल्य निम्नलिखित होगा-

(क) किसी पोलिसी धारक से प्रभारित सकल प्रीमियम, जिसमें से विनिधान के लिए आबंटित रकम को घटा दिया जाएगा, होगा या पोलिसी धारक की ओर से बचत होगा, यदि ऐसी रकम की सूचना सेवा की पूर्ति के समय पोलिसी धारक को दे दी गई है ;

(ख) खंड (क) से भिन्न एकल प्रीमियम वार्षिक पोलिसियों की दशा में, पोलिसी धारक से प्रभारित एकल प्रीमियम का दस प्रतिशत ; या

(ग) अन्य सभी मामलों में पहले वर्ष में पोलिसी धारक से प्रभारित प्रीमियम का पच्चीस प्रतिशत और पश्चातवर्ती वर्षों में पोलिसी धारक से प्रभारित प्रीमियम का साढ़े बारह प्रतिशत :

परंतु इस नियम की कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां पोलिसी धारक द्वारा संदत्त संपूर्ण प्रीमियम केवल जीवन बीमा की जोखिम को समाविष्ट करने के लेखे है ।

(5) जहां पुराने माल या उपयोग किए गए माल को उस रूप में या ऐसे मामूली प्रसंस्करण के पश्चात्, जिससे माल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्रय करने या विक्रय करने में लगे किसी व्यक्ति द्वारा कोई कराधेय पूर्ति उपलब्ध कराई जाती है और जहां ऐसे माल के क्रय पर कोई इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त नहीं किया गया है, वहां पूर्ति का मूल्य विक्रय कीमत और क्रय कीमत के बीच का अंतर होगा और जहां ऐसी पूर्ति का मूल्य नकारात्मक है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा :

परंतु व्यतिक्रमी उधार लेने वाले से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उधार या ऋण की वसूली के प्रयोजन के लिए पुन: कब्जे में लिए गए माल का क्रय मूल्य व्यतिक्रमी उधार लेने वाले द्वारा ऐसे माल की क्रय कीमत में क्रय की तारीख और ऐसा पुन: कब्जा करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके व्ययन की तारीख के बीच प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत घटाकर समझा जाएगा ।

(6) किसी टोकन या बाउचर या कूपन या स्टांप (डाक स्टांप से भिन्न), जो माल या सेवा या दोनों के विरुद्ध मोचनीय है, का मूल्य ऐसे टोकन, बाउचर, कूपन या स्टांप के विरुद्ध मोचनीय माल या सेवा या दोनों के धनीय मूल्य के बराबर होगा ।

(7) सेवा प्रदाता के ऐसे वर्ग द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय ऐसी सेवाओं का मूल्य, जहां इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध है, जो धारा 25 में यथानिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के बीच अनुसूची 1 के पैरा 2 में यथानिर्दिष्ट परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, शून्य समझा जाएगा ।

33. केवल अभिकर्ता की दशा में सेवाओं की पूर्ति का मूल्य - इस अध्याय के उपबंधों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी किसी पूर्तिकार द्वारा पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में उपगत व्यय या लागत को पूर्ति के मूल्य से अपवर्जित कर दिया जाएगा, यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी की जाती हैं, अर्थात् :--

(i) पूर्तिकार, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, जब वह ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा दिए गए प्राधिकार पर तीसरे पक्षकार को संदाय करता है ;

(ii) पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की ओर से केवल अभिकर्ता द्वारा किए गए संदाय को सेवा के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता द्वारा जारी बीजक में पृथकतया उपदर्शित किया गया है ; और

(iii) केवल अभिकर्ता द्वारा तीसरे पक्षकार से उपाप्त पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में की गई पूर्ति, उन सेवाओं के अतिरिक्त है, जिनकी पूर्ति वह अपने स्वयं के खाते से करता है ।

स्पष्टीकरण -- इस नियम के प्रयोजनों के लिए "केवल अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो-

(क) माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के दौरान व्यय या लागत उपगत करने के लिए प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए उसके साथ संविदात्मक करार करता है ;

(ख) पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में इस प्रकार उपाप्त या पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों का कोई भी शीर्षक न तो धारण करने का आशय रखता है, न धारण करता है ;

(ग) इस प्रकार उपाप्त ऐसे माल या सेवाओं का अपने स्वयं के लिए उपयोग नहीं करता है ; और

(घ) ऐसी पूर्ति के लिए प्राप्त रकम के अतिरिक्त, जो वह अपने स्वयं के लेखे उपलब्ध कराता है, ऐसे माल या सेवाएं उपाप्त करने के लिए उपगत केवल वास्तविक रकम ही प्राप्त करता है ।

दृष्टांत : कारपोरेट सेवाएं फर्म क, कंपनी ख के निगमन से संबंधित विधिक कार्य को करने में लगी हुई है । क, ख से उसकी सेवा के लिए फीस से भिन्न, कंपनी रजिस्ट्रार को संदत्त कंपनी के नाम के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस और अनुमोदन फीस भी वसूल करता है, कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा नाम के रजिस्ट्रीकरण और अनुमोदन के लिए प्रभारित फीस अनिवार्य रूप से ख पर उद्गृहीत है । क, उन फीसों के संदाय में मात्र केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है । इसलिए क के ऐसे व्ययों की वसूली एक संवितरण है और क द्वारा ख को की गई पूर्ति के मूल्य का भाग नहीं है ।

34. मूल्य के अवधारण के लिए भारतीय रुपए से भिन्न मुद्रा के विनिमय की दर - कराधेय माल या सेवा या दोनों के मूल्य के अवधारण के लिए विनिमय की दर, अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 12 या धारा 13 के निबंधनानुसार ऐसी पूर्ति की बाबत पूर्ति के समय की तारीख पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अवधारित उस मुद्रा के लिए लागू निर्देश दर होगी ।

35. एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर को मिलाकर पूर्ति का मूल्य- जहां पूर्ति के मूल्य में, यथास्थिति, एकीकृत कर या केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर सम्मिलित हैं, वहां कर की रकम को निम्नलिखित रीति से अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :--

कर की रकम = (करों सहित मूल्य X यथास्थिति, आईजीएसटी या सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के प्रतिशत में कर की दर) ÷ (100+ कर दरों की राशि, जो प्रतिशत में लागू है)

स्पष्टीकरण : इस अध्याय के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए,-

(क) माल, सेवा या दोनों की पूर्ति के "खुले बाजार मूल्य" पद से ऐसा संपूर्ण धनीय मूल्य अभिप्रेत है, जो एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और किसी संव्यवहार में किसी व्यक्ति द्वारा संदेय उपकर को अपवर्जित करने पर आता है, जहां पूर्ति का पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं हैं और उस समय, जब पूर्ति का मूल्य किया जाता है, ऐसी पूर्ति को अभिप्राप्त करने के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है ,

(ख) "उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल या सेवा या दोनों की पूर्ति" पद से उन्हीं परिस्थितियों के अधीन माल या सेवा या दोनों की, की गई कोई अन्य पूर्ति अभिप्रेत है, जो पहले उल्लिखित माल या सेवा या दोनों की विशेषता, क्वालिटी, मात्रा, कृत्यकारी संघटक, सामग्रियों और ख्याति के संबंध में माल या सेवाओं या दोनों की उस पूर्ति के प्रकार की या निकटतम अथवा सारत: उसके सदृश्य हैं ।

अध्याय 5

इनपुट कर प्रत्यय

36. इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने के लिए दस्तावेजी अपेक्षाएं और शर्तें (1) इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित किसी दस्तावेज के आधार पर इनपुट सेवा वितरक भी है, अर्थात् :--

(क) धारा 31 के उपबंधों के अनुसार माल या सेवा या दोनों के पूर्तिकार द्वारा जारी किया गया बीजक ;

(ख) कर के संदाय के अध्यधीन धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (च) के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया बीजक ;

(ग) धारा 34 के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्तिकार द्वारा जारी किया गया नामे नोट ;

(घ) प्रवेश पत्र या आयातों पर एकीकृत कर के निर्धारण के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अन्य वैसा ही दस्तावेज ;

(ङ.) इनपुट सेवा वितरक बीजक या इनपुट सेवा वितरक जमा पत्र अथवा नियम 54 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी किया गया कोई दस्तावेज ।

(2) इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग केवल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा, यदि उक्त दस्तावेज में अध्याय 6 में यथाविनिर्दिष्ट लागू सभी विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं और उक्त दस्तावेज में यथा अंतर्विष्ट सुसंगत सूचना ऐसे व्यक्ति द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-2** में दी गई हैं ।

(3) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे कर की बाबत इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जाएगा, जिसका संदाय किसी आदेश के अनुसरण में किया गया है, जहां ऐसी मांग की पुष्टि किसी कपट, जानबूझकर किए गए गलत कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण की गई है ।

37. प्रतिफल के असंदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय की वापसी - (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवा या दोनों की किसी आवक पूर्ति पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है, किन्तु धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उस पर संदेय कर सहित ऐसी पूर्ति के मूल्य का उसके पूर्तिकार को संदाय करने में असफल होता है, बीजक के जारी किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के ठीक पश्चात् वाले मास के लिए, ऐसी पूर्ति, संदत्त नहीं किए गए मूल्य की रकम पूर्तिकार को संदत्त नहीं की गई ऐसे रकम के अनुपात में उपभोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम के ब्यौरे **प्ररूप जीएसटीआर-2** में देगा :

परंतु उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल के बिना की गई पूर्ति का मूल्य, धारा 16 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट इनपुट कर प्रत्यय की रकम को उस मास के लिए, जिसमें ब्यौरे दिए गए हैं, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी पूर्तियों पर प्रत्यय का उपभोग करने की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि से उपनियम (2) में यथा उल्लिखित आउटपुट कर दायित्व में जोड़ी गई रकम के संदाय करने की तारीख तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित दर से ब्याज कर संदाय करने का दायी होगा ।

(4) धारा 16 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा अधिनियम के उपबंधों या इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार किसी ऐसे प्रत्यय का पुन: उपभोग करने के लिए लागू नहीं होगी, जिसे पूर्व में वापस कर दिया गया था ।

38. किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्रत्यय का दावा - कोई बैंककारी कंपनी या कोई वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, जो जमा स्वीकार करने या उधार देने या अग्रिम देने के रूप में सेवाओं की पूर्ति में लगी हुई है, जिसने धारा 17 की उपधारा (2) के उपबंधों की उस धारा की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात विकल्प के अनुसार अनुपालना नहीं करने का चुनाव किया है, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, अर्थात् :--

(क) (i) उक्त कंपनी या संस्था इनपुटों और गैर कारबार प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का उपभोग नहीं करेगी ; और

(ii) **प्ररूप जीएसटीआर-2** में धारा 17 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट पूर्तियों के कारण किए गए प्रत्यय के प्रत्यय का उपभोग नहीं करेगी ।

(ख) उक्त कंपनी या संस्था धारा 17 की उपधारा (4) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट तथा खंड (क) के अधीन नहीं आने वाले इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का उपभोग करेगी ;

(ग) इनपुट कर की शेष रकम का पचास प्रतिशत कंपनी या संस्था को अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय होगा और **प्ररूप जीएसटीआर-2** में दिया जाएगा ;

(घ) खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट रकम को धारा 41, धारा 42 और धारा 43 के उपबंधों के अध्यधीन उक्त कंपनी या संस्था के इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा कर दिया जाएगा ।

39. इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण की प्रक्रिया - (1) इनपुट सेवा वितरक इनपुट कर प्रत्यय का वितरक निम्नलिखित रीति में और शर्तों के अध्यधीन करेगा, अर्थात् :--

(क) किसी मास में वितरण के लिए उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय को उसी मास में वितरित किया जाएगा और उसके ब्यौरे इन नियमों के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटीआर-6** में दिए जाएंगे ;

(ख) इनपुट सेवा वितरक खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार अपात्र इनपुट कर प्रत्यय की रकम को (धारा 17 की उपधारा (5) के उपबंधों के अध्यधीन या अन्यथा पात्र) और पात्र इनपुट कर प्रत्यय की रकम को अलग से वितरित करेगा ;

(ग) केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय को खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार अलग से वितरित किया जाएगा ;

(घ) ऐसा इनपुट कर प्रत्यय, जो प्राप्तिकर्ताओं में किसी एक 'R1' चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं में से, जिनको इनपुट कर प्रत्यय किया जाना है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्राप्तिकर्ता भी हैं, जो छूट प्राप्त पूर्ति करने में लगे हुए हैं या किसी कारण से अन्यथा रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ङ.) के उपबंधों के अनुसार वितरित किया जाना अपेक्षित है, "C1" रकम होगा, जिसे निम्नलिखित सूत्र लागू करके संगणित किया जाएगा,--

$$\text{सी}_1 = (\text{टी}_1 \div \text{टी}) \times \text{सी}$$

जहां,

"सी", वितरित किए जाने वाले प्रत्यय की रकम है,

"टी$_1$", आर$_1$ व्यक्ति का, सुसंगत अवधि के दौरान, धारा 20 में यथा निर्दिष्ट आवर्त है, और

"टी", सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं का, जिनके प्रति धारा 20 के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा निर्धारित की गई है, आवर्त का योग है ;

(ङ) एकीकृत कर के मद्दे प्रत्येक प्राप्तिकर्ता को इनपुट कर प्रत्यय का एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वितरण किया जाएगा ;

(च) केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का,--

(i) उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित प्राप्तिकर्ता के संबंध में, जिसमें इनपुट सेवा वितरक अवस्थित है, वितरण क्रमशः केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में किया जाएगा ;

(ii) इनपुट सेवा वितरक के राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी प्राप्तिकर्ता के संबंध में, वितरण एकीकृत रूप के रूप में किया जाएगा और इस प्रकार वितरित की जाने वाली रकम केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय की रकम के उस योग के बराबर होगी, जो खंड (घ) के अनुसार ऐसे प्राप्तिकर्ता के प्रति वितरण के लिए सीमित है ;

(छ) इनपुट सेवा वितरक, नियम 54 के उपनियम (1) में यथा विहित इनपुट सेवा वितरक बीजक जारी करेगा, ऐसे बीजक में स्पष्टत: उपदर्शित होगा कि इसे केवल इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए जारी किया गया है ;

(ज) इनपुट सेवा वितरक, किसी कारण से पहले वितरित इनपुट कर प्रत्यय को घटाए जाने की दशा में प्रत्यय को घटाए जाने के लिए, नियम 54 के उपनियम (1) में यथा विहित इनपुट सेवा वितरक प्रत्यय नोट जारी करेगा ;

(झ) पूर्तिकार द्वारा किसी इनपुट सेवा वितरक को किसी नामे नोट के जारी किए जाने के कारण इनपुट कर प्रत्यय की किसी अतिरिक्त रकम का वितरण खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट रीति में और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा और किसी प्राप्तिकर्ता के लिए निर्धारित रकम की संगणना खंड (घ) में उपबंधित रीति में की जाएगी और ऐसे प्रत्यय का उस मास में वितरण किया जाएगा, जिसमें नामे नोट को **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 6** में विवरणी में सम्मिलित किया गया है ;

(ञ) पूर्तिकार द्वारा इनपुट सेवा वितरक को किसी नामे नोट के जारी किए जाने के कारण घटाए जाने के लिए अपेक्षित कोई इनपुट कर प्रत्यय का प्रभाजन, प्रत्येक प्राप्तिकर्ता के लिए उस अनुपात में किया जाएगा, जिसमें मूल बीजक में अंतर्विष्ट इनपुट कर प्रत्यय का वितरण खंड (घ) के निबंधनानुसार किया गया था और इस प्रकार प्रभाजित रकम को,--

(i) उस मास में, जिसमें **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 6** में विवरणी सम्मिलित किया जाता है, वितरित की जाने वाली रकम में से घटाया जाएगा ; या

(ii) प्राप्तिकर्ता के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा, जहां इस प्रकार प्रभाजित रकम ऐसे वितरण के अधीन, जो समायोजित की जाने वाली रकम से कम है, प्रत्यय की रकम के आधार पर नकारात्मक है ।

(2) यदि किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा वितरित इनपुट कर प्रत्यय की रकम को किन्हीं प्राप्तिकर्ताओं के लिए किसी अन्य कारण से, जिसके अंतर्गत वह कारण भी है, कि इनपुट सेवा वितरक द्वारा दिए गलत प्राप्तिकर्ताओं को वितरित कर दिया गया था, बाद में कम कर दिया जाता है, तो प्रत्यय के घटाए जाने के लिए उपनियम (1) के खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी ।

(3) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, इनपुट सेवा वितरक, उपनियम (1) के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट इनपुट सेवा वितरक को नामे नोट के आधार पर ऐसे प्रत्यय के लिए हकदार प्राप्तिकर्ता के प्रति एक इनपुट सेवा वितरक बीजक जारी करेगा और इनपुट सेवा वितरक नामे नोट तथा इनपुट सेवा वितरक बीजक को उस मास के लिए, जिसमें ऐसा प्रत्यय नोट और बीजक जारी किया गया था, **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 6** में विवरणी में सम्मिलित करेगा।

40. विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय का दावा करने की रीति-- (1) स्टाक में धारित इनपुट या स्टाक में धारित अर्द्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट पर और उक्त उपधारा के खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार पूंजी माल पर दावा किए गए प्रत्यय पर धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दावा किया गया इनपुट कर प्रत्यय निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :--

(क) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के निबंधनानुसार, पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय का दावा, ऐसे पूंजी माल पर संदत्त कर को, बीजक या ऐसे अन्य दस्तावेजों, जिनके आधार पर कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजी माल प्राप्त किया गया था, की तारीख से, किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए पांच प्रतिशत पाइंट तक कम करने के पश्चात्, किया जाएगा ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसके धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने हेतु पात्र होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, इलैक्ट्रानिक रूप से, **प्ररूप जी.एस.टी. आई.टी.सी. 01** में, समान पोर्टल पर, इस प्रभाव की घोषणा करेगा कि वह यथापूर्वोक्त इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने का पात्र है ;

(ग) खंड (ख) के अधीन घोषणा में स्पष्टतः,--

(i) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन दावे की दशा में, उस तारीख से, जिसको वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर संदाय के लिए दायी हुआ था, ठीक पूर्ववर्ती दिन को ;

(ii) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन दावे की दशा में, रजिस्ट्रीकरण पूर्ति किए जाने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को ;

(iii) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन दावे की दशा में, उस तारीख से, जिसको वह धारा 9 के अधीन कर संदाय के लिए दायी हुआ था, ठीक पूर्ववर्ती दिन को ;

(iv) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन दावे की दशा में, उस तारीख से, जिससे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए पूर्ति कराधेय हुए हैं, ठीक पूर्ववर्ती दिन को,

यथास्थिति, स्टाक में धारित इनपुट या स्टाक में धारित अर्द्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट पूंजी माल के संबंध में ब्यौरे विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(घ) यदि केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के मद्दे दावे का कुल मूल्य दो लाख रुपए से अधिक है तो खंड (ख) के अधीन घोषणा में दिए गए ब्यौरे किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित होंगे ;

(ङ) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय को तत्स्थानी पूर्तिकार द्वारा, यथास्थिति, **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 1** या **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 4** में, समान पोर्टल पर, दिए गए तत्स्थानी ब्यौरों के अनुसार सत्यापित किया जाएगा ।

(2) धारा 18 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के पूर्तों की दशा में, प्रत्यय की रकम, ऐसे माल के लिए बीजक जारी करने की तारीख से, किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए, ऐसे माल पर इनपुट कर को पांच प्रतिशत पॉइंट तक कम करके, संगणित की जाएगी ।

41. कारबार के विक्रय, विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण पर प्रत्यय का अंतरण--(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी कारण से कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण या परिवर्तन की दशा में, इलैक्ट्रानिक रूप से, समान पोर्टल पर, **प्ररूप जी.एस.टी.आर. आई.टी.सी. 02 में**, अंतरिती के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में पड़े हुए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के अंतरण के लिए अनुरोध के साथ कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टे या अंतरण के ब्यौरे देगा

परंतु निर्विलयन की दशा में इनपुट कर प्रत्यय को निर्विलयन स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट नई इकाइयों की आस्तियों के मूल्य के अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा ।

(2) अंतरक किसी भी व्यवसायरत चार्टर अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा यह प्रमाणित करते हुए कि कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण दायित्वों के अंतरण संबंधी विनिर्दिष्ट उपबंध के अनुसार किया गया है, जारी प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा ।

(3) अंतरिती, समान पोर्टल पर, अंतरक द्वारा इस प्रकार दिए गए ब्यौरों को प्रतिगृहीत करेगा और ऐसे प्रतिग्रहण पर, **प्ररूप जी.एस.टी.आर. आई.टी.सी. 02 में**, विनिर्दिष्ट अनुपयोजित प्रत्यय उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा हो जाएगा ।

(4) इस प्रकार अंतरित इनपुट और पूंजी माल को, अंतरिती द्वारा उसकी लेखा पुस्तक में समुचित रूप से हिसाब में लिया जाएगा ।

42. इनपुटों या इनपुट सेवाओं और उनके विपर्यय के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के अवधारण की रीति—(1) ऐसे इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का, जिन्हें धारा 17 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंध लागू होते हैं, जिनका भागत: उपयोग कारबार के प्रयोजनों के लिए किया गया है और भागत: अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया है या जिनका भागत उपयोग कराधेय पूर्तियों को, जिनके अंतर्गत शून्य दर पूर्ति भी हैं, प्रभाव देने के लिए और भागत: छूट प्राप्त पूर्तियों को प्रभाव देने के लिए किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय निम्नलिखित रीति से कारबार के प्रयोजन के लिए या प्रभावित कराधेय पूर्तियों के लिए निर्धारित होगा, अर्थात् :--

(क) किसी कर अवधि में इनपुटों और इनपुट सेवाओं में अंतर्वलित कुल इनपुट कर 'टी' के रूप में द्योतक होगा ;

(ख) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, जो कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय है, '$टी_1$' के रूप में द्योतक होगी ;

(ग) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, जो प्रभावित छूट प्राप्त पूर्तियों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय है, '$टी_2$' के रूप में द्योतक होगी ;

(घ) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, ऐसे इनपुटों और इनपुट सेवाओं के संबंध में, जिन पर धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्यय उपलब्ध नहीं है, '$टी_3$' के रूप में द्योतक होगी ;

(ङ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा इनपुट कर प्रत्यय की रकम 'सी' के रूप में द्योतक होगी और निम्नानुसार संगणित की जाएगी,--

$$\text{सी}_1 = \text{टी} - (\text{टी}_1 + \text{टी}_2 + \text{टी}_3) ;$$

(च) छूट प्राप्त पूर्तियों से भिन्न, किंतु शून्य दर पूर्तियों सहित प्रभावित पूर्तियों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय की रकम '$टी_4$' के रूप में द्योतक होगी ;

(छ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, '$टी_1$', '$टी_2$', '$टी_3$' और '$टी_4$' का अवधारण और उसकी घोषणा **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 02 में** बीजक स्तर पर की जाएगी ;

(ज) खंड (छ) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के निर्धारण के पश्चात् बचे हुए इनपुट कर प्रत्यय को सामान्य प्रत्यय कहा जाएगा, जो '$सी_2$' के रूप में द्योतक होगी और उसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी,--

$$\text{सी}_2 = \text{सी}_1 - \text{टी}_4 ;$$

(झ) छूट प्राप्त पूर्तियों के मद्दे निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय कर रकम '$डी_1$' के रूप में द्योतक होगी और निम्नानुसार संगणित की जाएगी,--

$$\text{डी}_1 = (\text{ई} \div \text{एफ}) \times \text{सी}_2 ;$$

जहां,

'**ई**', कर अवधि के दौरान छूट प्राप्त पूर्तियों का कुल मूल्य है, और

'एफ', रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के राज्य में कर अवधि के दौरान कुल आवर्त है :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का उक्त कर अवधि के दौरान कोई आवर्त नहीं है या पूर्वोक्त सूचना उपलब्ध नहीं है, वहां 'ई/एफ' के मूल्य की संगणना, उस मास के पूर्व की, जिसके दौरान 'ई/एफ' के उक्त मूल्य की संगणना की जानी है, ऐसी अंतिम कर अवधि के, जिसके लिए ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है, 'ई' और 'एफ' के मूल्यों को हिसाब में लेते हुए की जाएगी ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त पूर्तियों का संकलित मूल्य और कुल आवर्त को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और

उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्ग्रहीत शुल्क या कर की रकम में से अपवर्जित किया जाएगा ;

(ञ) गैर कारबार प्रयोजनों के लिए, निर्धारणीय प्रत्यय की रकम को, यदि सामान्य इनपुटों और इनपुट सेवाओं का उपयोग भागत: कारबार के लिए और भागत: गैर कारबार प्रयोजनों के लिए किया जाता है, 'डी$_2$' के रूप में द्योतक होगी और 'सी$_2$' के पांच प्रतिशत के बराबर होगी ;

(ट) शेष सामान्य कर प्रत्यय कारबार के प्रयोजनों के लिए और छूट प्राप्त पूर्तियों से भिन्न प्रभावित पूर्तियों के लिए, किंतु इसमें शून्य दर पूर्ति सम्मिलित हैं, निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय के लिए उपयुक्त होगा और 'सी$_3$' के रूप में द्योतक होगा, जहां,--

$$\text{सी}_3 = \text{सी}_2 - (\text{डी}_1 + \text{डी}_2) ;$$

(ठ) केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए रकम 'सी$_3$' की संगणना पृथक् रूप से की जाएगी ;

(ड) 'डी$_1$' और 'डी$_2$' के योग के बराबर रकम को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ा जाएगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जहां इनपुटों और इनपुट सेवाओं से संबंधित इनपुट कर की रकम की, जिसका भागत: उपयोग कारबार से भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है और भागत: उपयोग प्रभावित छूट प्राप्त पूर्तियों के लिए किया गया है, पहचान कर ली गई है और बीजक स्तर पर उसे पृथक् कर दिया गया है, वहां उसे क्रमश: 'टी$_1$' और 'टी$_2$' में सम्मिलित किया जाएगा और ऐसे इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर प्रत्यय की शेष रकम को 'टी$_4$' में सम्मिलित किया जाएगा ।

(2) किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपनियम (1) के अधीन अवधारित इनपुट कर प्रत्यय की अंतिम रूप से संगणना, उस वित्तीय वर्ष के अंत के, जिसको ऐसा कर प्रत्यय संबंधित है, आगामी सितंबर मास में विवरणी देनेके लिए देय तारीख से पूर्व उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी, और,--

(क) जहां 'डी$_1$' और 'डी$_2$' के संबंध में, अंतिम रूप से संगणित संकलित रकमें, 'डी$_1$' और 'डी$_2$' के संबंध में उपनियम (1) के अधीन अवधारित संकलित रकमों से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की, उस मास में के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा, जो ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के, जिससे ऐसा प्रत्यय संबंधित है, आगामी सितंबर मास के अपश्चात् है, और उक्त व्यक्ति, उक्त आधिक्य रकम पर, उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की एक अप्रैल से आरंभ होने वाली संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए धारा 50 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ; और

(ख) जहां 'डी$_1$' और 'डी$_2$' के संबंध में, उपनियम (1) के अधीन अवधारित संकलित रकमें, 'डी$_1$' और 'डी$_2$' के संबंध में अंतिम रूप से संगणित संकलित रकमों से अधिक है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के, जिससे ऐसा प्रत्यय संबंधित है, आगामी सितंबर मास के अपश्चात् किसी मास के लिए उसकी विवरणी में ऐसी आधिक्य रकम का दावा प्रत्यय के रूप में किया जाएगा ।

43. पूंजी माल और कतिपय मामलों में उसके विपर्यन के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के अवधारण की रीति-- (1) धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय, जिसे धारा 17 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध लागू होते हैं, जिनका भागत: उपयोग कारबार के प्रयोजन के लिए और भागत: उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया है या भागत: उपयोग शून्य दर पूर्तियों सहित प्रभावित कराधेय पूर्तियों के लिए और भागत: प्रभावित छूट प्राप्त पूर्तियों के लिए किया गया है, निम्नलिखित रीति में कारबार के प्रयोजनों के लिए या प्रभावित कराधेय पूर्तियों के लिए निर्धारित किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) गैर कारबारी प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित या प्रभावित छूट प्राप्त पूर्तियों के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर की रकम को **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 02** में उपदर्शित किया जाएगा और उसे उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा नहीं किया जाएगा ;

(ख) छूट प्राप्त पूर्तियों से भिन्न, किंतु शून्य दर पूर्तियों सहित प्रभावित पूर्तियों के लिए प्रयुक्त या अनन्य रूप से प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर की रकम **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 02** में उपदर्शित की जाएगी और उसे इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा ;

(ग) 'ए' के रूप में द्योतक ऐसे पूंजी माल के संबंध में, जो खंड (क) और खंड (ख) के अधीन नहीं आते हैं, इनपुट कर की रकम को इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा और ऐसे माल का उपयोगी जीवन, ऐसे माल के बीजक की तारीख से पांच वर्ष होगा :

परंतु जहां ऐसे पूंजी माल, जो पहले खंड (क) के अधीन आते थे, बाद में इस खंड के अधीन आते हैं, वहां 'ए' का मूल्य प्रत्येक तीन मास के लिए या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत पाइंट की दर पर इनपुट कर को घटाकर प्राप्त किया जाएगा और 'ए' की रकम को इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा ;

स्पष्टीकरण : खंड (क) के अधीन घोषित पूंजी माल की किसी मद को, उसकी प्राप्ति पर धारा 18 की उपधारा (4) के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि वह पहले इस खंड के अंतर्गत आती है ।

(घ) '$टी_{सी}$' के रूप में घोतक खंड (ग) के अधीन इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की गई 'ए' की संकलित रकमें किसी कर अवधि के लिए पूंजी माल के संबंध में सामान्य प्रत्यय होंगी :

परंतु जहां कोई ऐसा पूंजी माल, जो पहले खंड (ख) के अंतर्गत आता है, वहां प्रत्येक तीन मास या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत पाइंट की दर पर इनपुट कर को कम करके प्राप्त 'ए' के मूल्य को '$टी_{सी}$' के संकलित मूल्य में जोड़ दिया जाएगा ;

(ङ) सामान्य पूंजी माल पर उसके उपयोगी जीवन के दौरान किसी कर अवधि के लिए निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय की रकम '$टी_{एम}$' के रूप में द्योतक होगी और उसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी,--

$$टी_{एम} = टी_{सी} \div 60$$

(च) ऐसे सभी सामान्य पूंजी माल पर, जिसका उपयोगी जीवन कर अवधि के दौरान अशेष है, कर अवधि के प्रारंभ पर इनपुट कर प्रत्यय की रकम **टी$_{आर}$** के रूप में संगणित होगी और वह सामान्य पूंजी माल के लिए संकलित '**टी$_{एम}$**' होगी ;

(छ) छूट प्राप्त पूर्तियों के मद्दे निर्धारणीय समान प्रत्यय की रकम 'टी$_{इ}$' के रूप में संगणित होगी और उसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी,--

$$\text{टी}_{इ} = (\text{ई} \div \text{एफ}) \times \text{टी}_{आर}$$

जहां,--

'ई' कर अवधि के दौरान किए गए छूट प्राप्त पूर्तियों का संकलित मूल्य है, और

'एफ' कर अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कुल आवर्त है ;

परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का उक्त कर अवधि के दौरान कोई आवर्त नहीं है या पूर्ववर्ती जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहां 'ई/एफ' के मूल्य की संगणना, उस मास से पहले की, जिसके दौरान 'ई/एफ' के उक्त मूल्य की संगणना की जानी है, उस अंतिम कर अवधि के, जिसके लिए ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं, 'ई' और 'एफ' के मूल्यों को हिसाब में लेते हुए की जाएगी ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त पूर्तियों का संकलित मूल्य और कुल आवर्त को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्ग्रहीत शुल्क या कर की रकम को अपवर्जित किया जाएगा ;

(ज) संबंधित पूंजी माल के उपयोगी जीवन की प्रत्येक कर अवधि के दौरान लागू ब्याज के साथ रकम 'टी$_{इ}$' को, प्रत्यय का ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ा जाएगा ;

(2) केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के लिए रकम टी$_{इ}$ की संगणना पृथक रूप से की जाएगी ।

44. विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय के विपर्यन की रीति- (1) धारा 8 की उपधारा (4) और धारा 29 की उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए, स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों और स्टाक में धारित पूंजी माल से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) स्टाक में धारित इनपुटों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के लिए इनपुट कर प्रत्यय की संगणना अनुपाततः ऐसे तत्स्थानी बीजकों के आधार पर की जाएगी, जिन पर रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा, ऐसे इनपुटों पर प्रत्यय का उपयोग किया गया है ;

(ख) स्टाक में धारित पूंजी माल के लिए, किसी मास में शेष उपयोगी जीवन में अंतर्वलित इनपुट कर प्रत्यय की संगणना उपयोगी जीवन के पांच वर्ष के रूप में ग्रहण करते हुए आनुपातिक आधार पर की जाएगी ।

दृष्टांत :

पूंजी माल चार वर्ष, छह मास और पन्द्रह दिन के लिए उपयोग में रहा है ।

शेष उपयोगी जीवन, महीनों में पांच मास, उस मास के शेष भाग पर ध्यान न देते हुए

ऐसे पूंजी माल पर लिया गया इनपुट कर प्रत्यय सी,

शेष उपयोगी जीवन के लिए निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय 5/60 द्वारा गुणा सी

(2) एकीकृत कर और केंद्रीय कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट रकम का अवधारण पृथक् रूप से किया जाएगा ।

(3) जहां स्टाक में धारित इनपुटों से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन रकम का प्राक्कलन, यथास्थिति, धारा 18 की उपधारा (4) या धारा 29 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने की प्रभावी तारीख को माल की विद्यमान बाजार कीमत के आधार पर करेगा ।

(4) उपनियम (1) के अधीन अवधारित रकम रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आऊटपुट कर दायित्व का भागरूप होगी और ऐसी रकम के ब्यौरे, जहां ऐसी रकम धारा 18 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के संबंध में है, वहां **प्ररूप जी.एस.टी. आई.टी.सी. 03** में और जहां ऐसी रकम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में है, वहां **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 10** में दिए जाएंगे ।

(5) उपनियम (3) के अनुसार दिए गए ब्यौरे किसी व्यवसायरत चार्टर अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित होंगे ।

(6) पूंजी माल के संबंध में धारा 18 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अवधारण उसी रीति में किया जाएगा, जो उपनियम (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट है और आई.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. के इनपुट कर प्रत्यय के लिए पृथक रूप से रकम का अवधारण किया जाएगा ।

परंतुक जहां इस प्रकार अवधारित रकम, पूंजी माल के संव्यवहार मूल्य पर अवधारित कर से अधिक है, वहां अवधारित रकम आऊटपुट कर दायित्व का भागरूप होगी और उसे **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 01** में दिया जाएगा ।

45. छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए इनपुटों और पूंजी माल के संबंध में शर्तें और निर्बंधन-- (1) इनपुटों, अर्ध परिरूपित माल या पूंजी माल, छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को प्रधान द्वारा जारी चालान के साथ भेजा जाएगा, जिसके अंतर्गत ऐसी स्थिति भी है, जहां ऐसा माल किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को सीधे भेजा जाता है ।

(2) छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा जारी चालान में नियम 55 में विनिर्दिष्ट ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे ।

(3) तिमाही के दौरान किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए माल या छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से प्राप्त माल या किसी छुटपुट कर्मकार किसी अन्य को भेजे गए के संबंध में चालानों के

ब्यौरों को तिमाही से उत्तरवर्ती मास के पच्चीसवें दिन पर या पहले की अवधि के लिए दिए गए **प्ररूप जीएसटी आईटीसी -1** में सम्मिलित किया जाएगा ।

(4) जहां प्रधान को, धारा 143 में नियत समय के भीतर इनपुट या पूंजी माल वापस नहीं किया जाता है, यह समझा जाएगा कि ऐसे इनपुट या पूंजीमाल प्रधान द्वारा छुटपुट कर्मकार को, उस दिन पर जब उक्त इनपुट और पूंजीमाल भेजे गए, प्रदायित किए गए थे और उक्त पूर्ति **प्ररूप जीएसटी आर 1** में घोषित किया जाएगा और प्रधान कर के साथ लागू ब्याज के संदेय के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,--

(1) "पूंजी माल" पद के अंतर्गत धारा 17 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित "संयंत्र और मशीनरी" भी है ;

(2) धारा 17 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट छूट प्राप्त पूर्ति के मूल्य के अवधारण के लिए,

(क) भूमि और भवन के मूल्य को उसी रूप में लिया जाएगा, जैसे स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए अंगीकार किया गया है ; और

(ख) प्रतिभूति के मूल्य को, ऐसी प्रतिभूति के विक्रय मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में लिया जाएगा ।

अध्याय 6
कर बीजक, प्रत्यय और नामे टिप्पण

46. कर बीजक – नियम 54 के अधीन, धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी की जाएगी :-

(क) पूर्तिकार का नाम, पता और माल या सेवा कर पहचान संख्या;

(ख) सोलह अक्षर से अनदिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण - हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे "-"और "/" क्रमशः और उनका कोई संयोजन, वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा

(ग) उसके जारी करने की तारीख;

(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या यदि रजिस्ट्रीकृत है;

(ङ) प्राप्तिकर्ता का नाम पता और परिदान का पता, राज्य के नाम और उसके कोड के साथ, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता अरजिस्ट्रीकृत है और जहां कराधेय पूर्ति का मूल्य पचास हजार रुपये या उससे अधिक है;

(च) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता और परिदान के पते के लिए राज्य का नाम और उसका कोड, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता अरजिस्ट्रीकृत है और जहां कराधेय पूर्ति का मूल्य पचास हजार रुपए से कम है और प्राप्तिकर्ता प्रार्थना करता है कि ऐसा ब्यौरा कर बीजक में अभिलिखित किया जाए;

(छ) माल और सेवा का नामपद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली;

(ज) मालों और सेवाओं का वर्णन;

(झ) माल की दशा में मात्रा और ईकाई या उसका यूनिक मात्रा कोड;

(ञ) मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का कुल मूल्य;

(ट) छूट या उपशमन को हिसाब में लेते हुए माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का काराधेय मूल्य;

(ठ) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या सेस);

(ड) कराधेय मालों या सेवाओं की बाबत भारित कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या सेस);

(ढ) अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में पूर्ति की दशा में, राज्य के नाम के साथ पूर्ति का स्थान;

(ण) परिदान का पता जहां वह पूर्ति के स्थान से भिन्न है;

(त) क्या कर प्रतिलोम प्रभार आधार पर देय है; और

(थ) पूर्तिकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर:

परन्तु आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा-

(i) माल या सेवाओं के लिए नाम पद्धति कोड की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की संख्या, जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अवधि के लिए उल्लेख अपेक्षित होगा; और

(ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग जिनसे माल और सेवाओं के लिए नामपद्धति कोड की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अवधि के लिए अपेक्षित नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जहां धारा 31 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अधीन बीजक जारी किया जाना अपेक्षित है, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन आने वाली पूर्तियों के लिए माह के अंत पर समेकित बीजक जारी कर सकता है, जब ऐसे पूर्तियों का मूल्य एक दिन में किसी या सभी पूर्तिकारों से रूपये पांच हजार से अधिक है

परन्तु, यह कि माल और सेवाओं के निर्यात की दशा में बीजक में 'एकीकृत कर के संदाय पर निर्यात के लिए पूर्ति' या एकीकृत कर के संदाय के बिना बांड या करार या वचनबंध के अधीन निर्यात के लिए पूर्ति' जैसा भी मामला हो पृष्ठांकित होगा, और खंड (ड) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के बजाय, निम्नलिखित ब्यौरा अन्तर्विष्ट होगा, अर्थात्:-

(i) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता

(ii) परिदान का पता और

(iii) गंतव्य देश का नाम

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए धारा 31 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) प्राप्तिकर्ता एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है; और

(ख) प्राप्तिकर्ता द्वारा ऐसा बीजक अपेक्षित नहीं होता है और सभी ऐसी पूर्तियों के संबंध में प्रत्येक दिन की समाप्ति पर ऐसी पूर्ति के लिए एकीकृत कर बीजक जारी करेगा ।

47. कर बीजक जारी करने के लिए समय सीमा -नियम 46 में निर्दिष्ट कर बीजक, सेवाओं की कराधेय पूर्ति की दशा में, सेवा की पूर्ति की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर जारी की जाएगी:

परन्तु जहां सेवाओं का पूर्तिकार एक बीमाकर्ता है या बैंकिंग कंपनी है या वित्तीय संस्थान है जिसके अन्तर्गत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी है, वह अवधि जिसके भीतर बीजक या उसके बजाय कोई अन्य दस्तावेज जारी किया जाना है, सेवाओं की पूर्ति की तारीख से पैंतालिस दिवस होगी:

परन्तु यह और कि बीमाकर्ता या बैंकिंग कंपनी या एक वित्तीय संस्थान जिसके अन्तर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी है, या एक टेलिकाम प्रचालक या सेवा की पूर्तिकार का कोई अन्य वर्ग, जैसा भी मामला हो, परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा, धारा 25 में विनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के बीच सेवाओं की कराधेय पूर्ति के लिए, बीजक, पूर्तिकार द्वारा लेखा बही में उसे अभिलेखित करने से पहले या उस समय या ऐसे त्रिमास की समाप्ति से पूर्व जिसके दौरान पूर्ति की गई थी, जारी कर सकेगा।

48. बीजक जारी करने की रीति.- (1) बीजक तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) मूल प्रति को "प्राप्तिकर्ता के लिए मूल" के रूप में चिह्नित किया जाएगा;

(ख) दूसरी प्रति "परिवाहक के लिए द्वितीय प्रति" के रूप में चिह्नित कियाजाएगा; और

(ग) तीसरी प्रति "पूर्तिकार के लिए तृतीय प्रति" के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

(2) सेवाओं की पूर्ति की दशा में, निम्नलिखित रीति से, बीजक दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) मूल प्रति को "प्राप्तिकर्ता के लिए मूल" के रूप में चिह्नित किया जाएगा; और

(ख) द्वितीय प्रति को "पूर्तिकार के लिए द्वितीय प्रति" के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

(3) कर अवधि के दौरान जारी बीजकों की क्रम संख्या **प्ररूप जीएसटी आर.11** में समान पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में दाखिल की जाएगी ।

49. पूर्ति का बिल-धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट पूर्ति का बिल, निम्नलिखित ब्यौरों को अन्तर्विष्ट करते हुए पूर्तिकार द्वारा जारी किया जाएगा, अर्थात्-

(क) पूर्तिकार का नाम,पता और माल तथा सेवा कर पहचान संख्या;

(ख) सोलह अक्षर से अनधिक क्रमिक

क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण - हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे "-"और "/" क्रमशः और उनका कोई संयोजन, वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा ;

(ग) उसके जारी करने की तारीख;

(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या यदि रजिस्ट्रीकृत है;

(ङ) माल और सेवा का नामपद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली

(च) मालों और सेवाओं या दोनों का वर्णन;

(छ) छूट या उपशमन, यदि कोई है, को हिसाब में लेते हुए माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य;

(ज); पूर्तिकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर:

परन्तु नियम 46 का परन्तुक, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित इस नियम के अधीन जारी पूर्ति के बिल को लागू होगा

परन्तु यह और कि किसी गैर-कराधेय पूर्ति की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन जारी किसी कर बीजक या कोई अन्य समान दस्तावेज इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कर बीजक के रूप में माना जाएगा ।

50. प्राप्ति वाउचर -धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्राप्ति वाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात्

(क) पूर्तिकार का नाम, पता और माल या सेवा कर पहचान संख्या;

(ख) सोलह अक्षर से अनदिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण - हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे "-"और "/" क्रमशः और उनका कोई संयोजन, वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा;

(ग) उसके जारी करने की तारीख;

(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या यदि रजिस्ट्रीकृत है;

(ङ) मालों और सेवाओं का वर्णन;

(च) अग्रिम ली गई रकम;

(छ) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या सेस);

(ज) कराधेय मालों या सेवाओं की बाबत भारित कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या सेस);

(झ) अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में पूर्ति की दशा में राज्य के नाम के साथ पूर्ति का स्थान, ;

(ञ) क्या कर प्रतिलोम प्रभार आधार पर देय है; और

(ट) पूर्तिकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर।

परन्तु अग्रिम की प्राप्ति के समय,--

(i) दर की दर अवधार्य नहीं है, कर 18 प्रतिशत की दर पर संदेय किया जाएगा

(ii) पूर्ति की प्रकृति अवधार्य नहीं है, उसे अन्तरराज्यीय पूर्ति के रूप में माना जाएगा

51. प्रतिदाय वाउचर – धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट प्रतिदाय वाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :--

(क) पूर्तिकार का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ;

(ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिह्न-हाइफन या डैश और स्लैश अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमश: "-" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्तीय वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा ;

(ग) जारी करने की तारीख ;

(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है तो ;

(ङ) नियम 50 के उपबंधों के अनुसार जारी प्राप्ति वाउचर का नंबर और तारीख ;

(च) उन मालों या सेवाओं का विवरण, जिनके संबंध में प्रतिदाय किया गया है ;

(छ) प्रतिदाय की गई रकम ;

(ज) कर की दर (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर) ;

(झ) ऐसे मालों या सेवाओं के संबंध में संदत्त कर की रकम (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर) ;

(ञ) क्या कर प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदेय है ; और

(ट) पूर्तिकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर ।

52. संदाय बाउचर—धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (छ) में निर्दिष्ट संदाय बाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :--

(क) पूर्तिकार का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है ;

(ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिह्न-हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमश: "-" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्तीय वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा ;

(ग) जारी करने की तारीख ;

(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ;

(ङ) मालों या सेवाओं का विवरण ;

(च) संदत्त रकम ;

(छ) कर की दर (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर) ;

(ज) कराधेय मालों या सेवाओं के संबंध में कर की रकम (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर) ;

(झ) अंत:राज्य व्यापार या वाणिज्य के प्रक्रम में पूर्ति की दशा में राज्य के नाम के साथ पूर्ति का स्थान और उसका कूट ; और

(ञ) पूर्तिकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर ।

53. पुनरीक्षित कर बीजक और प्रत्यय या नामे टिप्पण—(1) धारा 31 में निर्दिष्ट पुनरीक्षित कर बीजक और धारा 34 में निर्दिष्ट प्रत्यय या नामे टिप्पण में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :--

(क) "पुनरीक्षित बीजक" शब्द, जहां लागू होता है वहां उसे स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा ;

(ख) पूर्तिकार का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ;

(ग) दस्तावेज की प्रकृति ;

(घ) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिह्न-हाइफन या डैस और स्लैस

अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमश: "-" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा :

(ङ) दस्तावेज जारी करने की तारीख ;

(च) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है ;

(छ) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता तथा राज्य और उसके कूट सहित परिदान का पता, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो ;

(ज) यथास्थिति, तत्स्थानी कर बीजक या पूर्ति के बिल की क्रम संख्या :

(झ) कराधेय मालों या सेवाओं का मूल्य, कर की दर तथा यथास्थिति, प्रत्यय किए गए या प्राप्तिकर्ता के नामे डाले गए कर की रकम ; और

(ञ) पूर्तिकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे उसे जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की तारीख से पूर्व किसी तारीख से रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है, वह रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से प्रभावी होने वाली कालावधि के दौरान की गई कराधेय पूर्तियों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक पुनरीक्षित कर बीजक जारी कर सकेगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी प्राप्तिकर्ता को, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को ऐसी अवधि के दौरान की गई सभी कराधेय पूर्तियों के संबंध में एकीकृत पुनरीक्षित कर बीजक जारी कर सकेगा :

परंतु यह और कि अंतराज्य आपूर्तियों की दशा में, जहां पूर्ति का मूल्य दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है, एकीकृत पुनरीक्षित बीजक उस राज्य में स्थित सभी प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पृथक् रूप से जारी किया जा सकेगा ।

(3) धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदेय किसी कर के लिए जारी कोई बीजक या नामे टिप्पण में स्पष्ट रूप से **"इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञेय नहीं"** शब्द अंतर्विष्ट होंगे ।

54. विशेष मामलों में कर बीजक—(1) किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी, यथास्थिति, कोई इनपुट सेवा वितरक बीजक या इनपुट सेवा वितरक प्रत्यय टिप्पण में निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे :--

(क) इनपुट सेवा वितरक का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ;

(ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिह्न-हाइफन या डैश और स्लैश अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमश: "-" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा ;

(ग) जारी करने की तारीख ;

(घ) प्राप्तिकर्ता, जिसे प्रत्यय वितरित किया गया है, का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ;

(ङ) वितरित प्रत्यय की रकम ; और

(च) इनपुट सेवा वितरक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर :

परंतु जहां इनपुट सेवा वितरक किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संसथा, जिसके अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है, का कार्यालय है तो किसी कर बीजक में उसके संबंध पर कोई दस्तावेज शामिल होगा चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो चाहे क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित हो या नहीं किंतु उसमें यथा उपरोक्त वर्णित सूचना अंतर्विष्ट होगी ।

(2) जहां इनपुट सेवा वितरक कोई बीमांकक या कोई बैंककारी कंपनी या वित्तीय संसथा है, जिसके अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है, तो उक्त पूर्तिकार उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, चाहे भौतिक रूप से या इलैक्ट्रानिकी रूप से जारी किया गया हो या उपलब्ध कराया गया हो या क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित हो या नहीं और चाहे उसमें कराधेय सेवा के प्राप्तिकर्ता का पता अंतर्विष्ट हो या नहीं किंतु उसमें नियम 46 के अधीन वर्णित अन्य सूचना अंतर्विष्ट हो ।

(3) जहां कराधेय सेवा का पूर्तिकार कोई माल परिवहन अभिकरण है, जो किसी माल वाहक में सड़क द्वारा मालों के परिवहन के संबंध में सेवाओं की पूर्ति कर रहा है, उक्त पूर्तिकार उसके स्थान पर चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा, जिसमें पारेषण का समग्र भार, पारेषणकर्ता और पारेषिती का नाम, उस माल वाहक की रजिसट्रीकरण संख्या, जिसमें मालों का परिवहन किया जाता है, परिवहन किए जा रहे मालों के ब्यौरे मूल और गंतव्य स्थान के ब्यौरे, कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति, चाहे पारेषक या पारेषिती या माल परिवहन अभिकरण के रूप में हो, का माल और सेवाकर पहचान नंबर तथा अन्य सूचना, जैसा नियम 46 के अधीन वर्णित है, अंतर्विष्ट होगी ।

(4) जहां कराधेय सेवा का पूर्तिकार यात्री परिवहन सेवा की पूर्ति कर रहा है, कर बीजक में किसी भी रूप में टिकट सम्मिलित होगा, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, चाहे क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित हो और चाहे उसमें सेवा के प्राप्तिकर्ता का पता अंतर्विष्ट हो या नहीं किंतु उसमें नियम 46 के अधीन यथावर्णित अन्य सूचना अंतर्विष्ट होगी ।

(5) उपनियम (2) या उपनियम (4) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित नियम 49 या नियम 50 या नियम 51 या नियम 52 या नियम 53 के अधीन जारी दस्तावेजों को लागू होंगे ।

55. बीजक जारी किए बिना मालों का परिवहन—(1) निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए

(क) तरल गैस की पूर्ति, जहां पूर्तिकार के कारबार के स्थान से उसको हटाए जाने के समय मात्रा ज्ञात नहीं है,

(ख) छुटपुट कार्य के लिए मालों का परिवहन,

(ग) पूर्ति से भिन्न कारणों से मालों का परिवहन, या

(घ) ऐसी अन्य पूर्ति, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाए,

के लिए पारेषक परिदान चालान जारी कर सकेगा, जो क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित होगा, जिसमें 16 से अधिक एक या बहुल श्रृंखलाओं में परिवहन के लिए मालों को हटाने के समय करेकटर नहीं होंगे, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :--

I. परिदान चालान की तारीख और नंबर ;

II. पारेषक का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर, यदि रजिसट्रीकृत है ;

III. पारेषिती का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या पारेषिती की विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिसट्रीकृत है ;

IV. नाम पद्धति कूट और मालों के विवरण की सुव्यवस्थित प्रणाली ;

V. मात्रा (अनंतिम, जहां पूर्ति की जा रही वास्तविक मात्रा ज्ञात नहीं है) ;

VI. कराधेय मूल्य ;

VII. कर दर और कर रकम - केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर, जहां परिवहन पारेषिती को पूर्ति के लिए है ;

VIII. अंत:राज्य संचलन की दशा में पूर्ति का स्थान ; और

IX. हस्ताक्षर ।

(2) निम्नलिखित रीति में मालों की पूर्ति की दशा में परिदान चालान को तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) मूल प्रति को **पारेषिती के लिए मूल** के रूप में चिह्नित किया जाएगा ;

(ख) अनुकृति को **परिवहनकर्ता के लिए** अनुकृति के रूप में चिह्नित किया जाएगा ; और

(ग) तीसरी प्रति को **पारेषणकर्ता के लिए** के रूप में चिह्नित किया जाएगा ।

(3) जहां मालों का परिवहन बीजक के स्थान पर परिदान चालान पर किया जा रहा है, वहां उसे नियम 138 में विनिर्दिष्ट के अनुसार घोषित किया जाएगा ।

(4) जहां परिवहन किए जा रहे मार्ग प्राप्तिकर्ता को पूर्ति के प्रयोजन के लिए है, किंतु पूर्ति के प्रयोजन के लिए मालों को हटाने के समय कर बीजक जारी नहीं किया जा सका है तो पूर्तिकार मालों के परिदान के पश्चात् कर बीजक जारी करेगा ।

(5) जहां मालों का परिवहन सेमी नाक्ड डाउन या पूर्णतया नाक्ड डाउन स्थिति में किया जा रहा है--

(क) पूर्तिकार पहले पारेषण को पारेषित करने से पूर्व पूर्ण बीजक जारी करेगा ;

(ख) पूर्तिकार प्रत्येक पश्चातवर्ती पारेषण के लिए बीजक को निर्दिष्ट करते हुए परिदान चालान जारी करेगा ;

(ग) प्रत्येक पारेषण के साथ तत्स्थानी परिदान चालान की प्रतियों के साथ बीजक की सम्यक भरी हुई प्रति संलग्न होगी ; और

(घ) बीजक की मूल प्रति को अंतिम पारेषण के साथ भेजा जाएगा ।

अध्याय 7

लेखे और अभिलेख

56. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा लेखाओं का रखा जाना--(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 35 की उपधारा (1) में वर्णित विशिष्टयों के अतिरिक्त आयात या निर्यात या पूर्ति किए गए मालों या सेवाओं, जिन पर विपरीत प्रभार पर कर का संदाय आकृष्ट होता है, का सत्य और सही लेखा रखने के साथ सुसंगत दस्तावेज, जिसके अंतर्गत बीजक, पूर्ति के बिल, परिदान चालान, प्रत्यय टिप्पण, नामे टिप्पण, प्राप्ति बाउचर, संदाय बाउचर तथा प्रतिदाय बाउचर हैं, रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा ।

(2) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त किए गए और पूर्ति किए गए मालों के संबंध में सटॉक के लेखे रखेगा और ऐसे लेखाओं में अतिशेष, प्राप्ति, पूर्ति, खो गए माल, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, बट्टे खाते में डाले या उपहार या नि:शुल्क नमूने के रूप में दिए गए माल तथा सटॉक के शेष, जिसके अंतर्गत कच्ची सामग्रियां, तैयार माल, स्क्रैप और उनकी छीजन सम्मिलित है, की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी ।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्राप्त अग्रिमों, उनका संदाय और समायोजन के पृथक लेखे रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा ।

(4) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति एक लेखा रखेगा और उसका अनुरक्षण करेगा, जिसमें संदेय कर (धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार संदेय कर सम्मिलित है), संगृहित और संदत्त कर, इनपुट कर, दावा किया गया इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों के साथ कर बीजक का रजिस्टर, प्रत्यय टिप्पण, नामे टिप्पण, किसी कर अवधि के दौरान जारी किया गया या प्रापत किया गया परिदान चालान अंतर्विष्ट है ।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित की विशिष्टियां रखेगा,--

(क) पूर्तिकारओं का नाम और पूरा पता, जिनसे उसने अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य मालों या सेवाओं को प्राप्त किया है ;

(ख) उन व्यक्तियों का नाम और पूरा पता, जिनको उसने मालों या सेवाओं की पूर्ति की है, जहां इस अध्याय के नियमों के अधीन अपेक्षित है ;

(ग) उन परिसरों का पूरा पता, जहां उसके द्वारा मालों का भंडारण किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्थानांतरण के दौरान भंडार किए गए माल सम्मिलित हैं, के साथ उनमें भंडार किए गए स्टॉक की विशिष्टियां हैं ।

(6) यदि उपनियम (5) के अधीन घोषित स्थानों से भिन्न किसी स्थान पर किन्हीं विधिमान्य दस्तावेजों के बिना कोई कराधेय माल पाया जाता है तो उचित अधिकारी ऐसे मालों पर संदेय कर की रकम को ऐसे अवधारित करेगा जैसे ऐसे मालों की पूर्ति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई है ।

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति लेखा बहियों को और उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित अतिरिक्त कारबार के स्थान से संबंधित लेखा बहियां और ऐसी अन्य लेखा बहियों में किसी

इलैक्ट्रानिकी युक्ति में भंडारित डाटा का कोई अन्य प्रारूप सम्मिलित है, कारबार के मूल स्थान पर रखेगा ।

(8) रजिस्टरों, लेखाओं और दस्तावेजों में की गई किसी प्रविष्टि को मिटाया, छिपाया या उसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा और लिपिकीय प्रकृति से भिन्न अन्यथा सभी अशुद्ध प्रविष्टियों को सत्यापन के अधीन काट दिया जाएगा तथा तत्पश्चात् सही प्रविष्टि को अभिलिखित किया जाएगा और जहां रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण इलैक्ट्रानिकी रूप में किया जाता है तो संपादित या लोप की गई प्रत्येक प्रविष्टि का लॉग रखा जाएगा ।

(9) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा मैनुअल रूप से रखी गई लेखा बहियों के प्रत्येक खंड को क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित किया जाएगा ।

(10) जब तक कि अन्यथा साबित न हो, यदि किसी दस्तावेज, रजिस्टर या कोई लेखा बही, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से संबंधित है, को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित किसी अन्य परिसर पर पाया जाता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि उस परिसर का उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुरक्षण किया जा रहा है ।

(11) धारा 2 के खंड (5) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकर्ता निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए लेखे रखेगा--

(क) प्रत्येक प्रधान से ऐसे प्रधान के निमित्त मालों या सेवाओं को प्राप्त करने या पूर्ति करने के लिए उसके द्वारा पृथकत: प्राप्त प्राधिकृत करने की विशिष्टियां ;

(ख) विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रधान के निमित्त प्राप्त मालों या सेवाओं का विवरण, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हो), सम्मिलित है ;

(ग) विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रधान के निमित्त पूर्ति किए गए मालों या सेवाओं का विवरण, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हो), सम्मिलित है ;

(घ) प्रत्येक प्रधान को प्रस्तुत लेखाओं के ब्यौरे ; और

(ङ) प्रत्येक प्रधान के निमित्त प्राप्त किए गए या पूर्ति किए गए मालों या सेवाओं पर संदत्त कर ।

(12) मालों का विनिर्माण करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मासिक उत्पादन लेखे रखेगा, जिनमें विनिर्माण में उपयोग की गई कच्ची सामग्रियों या सेवाओं के मात्रात्मक ब्यौरे तथा इस प्रकार विनिर्मित किए गए मालों के मात्रात्मक ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उनकी छीजन और उप उत्पाद हैं, को दर्शित किया जाएगा ।

(13) सेवाओं की पूर्ति करने वाला प्रत्येक रजिसट्रीकृत वयकति लेखाओं को रखेगा, जिसमें सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किए गए मालों के बयौरे उपयोग की गई इनपुट सेवाओं के ब्यौरे तथा पूर्ति की गई सेवाओं के ब्यौरे उपदर्शित होंगे ।

(14) कार्य संविदा का निष्पादन करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत वयकति कार्य संविदा के लिए निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए पृथक् लेखे रखेगा--

(क) उन व्यक्तियों के नाम और पते, जिनके निमित्त कार्य संविदा का निषपादन किया जाता है ;

(ख) कार्य संविदा के निष्पादन के लिए प्राप्त मालों या सेवाओं का वर्णन, मूलय और मात्रा (जहां लागू हों) ;

(ग) कार्य संविदा के निष्पादन के लिए उपयोजित मालों या सेवाओं का वर्णन, मूलय और मात्रा (जहां लागू हों) ;

(घ) प्रत्येक कार्य संविदा के संबंध में प्राप्त संदाय के बयौरे ; और

(ङ) उन पूर्तिकारों के नाम और पते, जिनसे उसने माल और सेवाएं प्राप्त की हैं ।

(15) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अभिलेखों को इलैक्ट्रानिकी प्ररूप में रखा जाएगा और इस प्रकार रखे गए अभिलेखों को डिजीटल हस्ताक्षर के माधयमों से अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

(16) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा स्टॉक परिदान, आवक पूर्ति और जावक पूर्ति के संबंध में रखे गए लेखे, सभी बीजकों, पूर्ति बिलों, प्रत्यय और नामे टिप्पण का धारा 36 में यथा उपबंधित कालावधि के लिए परिरक्षण किया जाएगा और जहां ऐसे लेखों और दस्तावेजों का अनुरक्षण मैनुअल रूप से किया जा रहा है वहां उनको रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित कारबार के प्रत्येक संबंधित स्थान पर रखा जाएगा और वह कारबार के प्रत्येक संबंधित स्थान पर सुलभ होंगे, जहां ऐसे लेखाओं और दस्तावेजों का अनुरक्षण डिजीटल रूप से किया जाता है ।

(17) वाहक या समाशोधन और आग्रेषण अभिकर्ता की क्षमता में मालों की अभिरक्षा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निमित्त प्राप्तिकर्ता को उनके परिदान या पारेषण के लिए उसके द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निमित्त हस्तालन किए गए ऐसे मालों के संबंध में सही और सत्य अभिलेख रखेगा तथा उचित अधिकारी द्वारा जब और जहां अपेक्षा की जाए, उनके ब्यौरों को प्रस्तुत करेगा ।

(18) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मांग किए जाने पर उन लेखा बहियों को प्रस्तुत करेगा जिनकी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखे जाने की उससे अपेक्षा है ।

57. इलैक्ट्रानिकी अभिलेखों का सृजन और अभिरक्षण (1) अभिलेखों के अंतर्गत इलैक्ट्रानिकी बैक-अप का अनुरक्षण और परिरक्षण ऐसी रीति में किया जाएगा कि ऐसे अभिलेखों को दुर्घटनाओं या प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो जाने की दशा में सूचना को युक्तिसंगत कालावधि के भीतर पुन: बहाल किया जा सके ।

(2) इलैक्ट्रानिकी अभिलेखों का अनुरक्षण करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मांग किए जाने पर उसके द्वारा समयकत: अधिप्रमाणित सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों को हार्ड कापी या किसी अन्य इलैक्ट्रानिकी रूप से पठनीय प्ररूप में प्रस्तुत करेगा ।

(3) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लेखाओं और अभिलेखों का इलैक्ट्रानिकी रूप में भंडारण किया जाता है तो वह मांग किए जाने पर ऐसी फाइलों के पासवर्ड के ब्यौरों और पहुंच के लिए, जहां आवश्यक हो, इस्तेमाल किए गए कूटों के स्पष्टीकरण और किसी अन्य सूचना को, जो ऐसी पहुंच के लिए आवश्यक हो, के साथ ऐसी फाइलों में भंडारित सूचना की मुद्रित रूप में नमूना प्रति प्रस्तुत करेगा ।

58. गोदाम या भांडागार के स्वामी और परिवहनकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख—(1) धारा 35 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अभिलेखों और लेखाओं का अनुरक्षण करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति, यदि पहले ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो वह अपने कारबार के संबंध में **प्ररूप जीएसटी इएनआर-01 में** समान पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से ब्यौरे प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत ब्यौरों के विधिमान्यकरण पर एक विशिष्ट नामांकन नंबर सृजित किया जाएगा तथा उक्त व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा ।

(2) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पूर्वोक्त उपनियम (1) के अधीन नामांकित व्यक्ति को राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में नामांकित समझा जाएगा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपनियम (1) के अधीन नामांकित किया गया है, जहां अपेक्षित हो, **प्ररूप जीएसटी इएनआर-01** में प्रस्तुत ब्यौरों का समान पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से संशोधित करेगा ।

(4) नियम 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,--

(क) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति परिवहन किए गए, परिदान किए गए और वहन के दौरान उसके द्वारा भंडारण किए गए मालों के अभिलेखों के साथ रजिस्ट्रीकृत पारेषक और पारेषिती का उसकी प्रत्येक शाखा में माल और सेवाकर पहचान नंबर के साथ अभिलेख रखेगा ।

(ख) भांडागार या गोदाम का प्रत्येक स्वामी या प्रचालक उस अवधि के संबंध में, जिसमें भांडागार में विशिष्ट माल रहे, की लेखा बहियां रखेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे मालों के पारेषण, संचलन, प्राप्ति और निपटान से संबंधित ब्यौरे हैं ।

(5) गोदाम का स्वामी या प्रचालक मालों का भंडारण ऐसी रीति में करेगा कि उनकी मदवार या स्वामीवार पहचान की जा सके और मांग किए जाने पर, उचित अधिकारी, द्वारा निरीक्षण या किसी भौतिक सत्यापन को सुकर बनाएगा ।

अध्याय 8

विवरणियां

59. जावक पूर्तियों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति (1) एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं की जावक पूर्तियों या दोनों के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वह ऐसे ब्यौरों को इलैक्ट्रानिकी रूप में या **प्ररूप जीएसटीआर-1** में समान पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ।

(2) मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में प्रसतुत ब्यौरों में निम्नलिखित शामिल होंगे–

(क) निम्नलिखित के बीजक-वार ब्यौरे–

(i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर राज्य और अंत:राज्य पूर्ति ; और

(ii) गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक बीजक मूल्य के साथ की गई अंतर राज्य पूर्ति :

(ख) निम्नलिखित के एकीकृत ब्यौरे--

(क) प्रत्येक कर दर के लिए गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंत:राज्य पूर्ति ; और

(ख) प्रत्येक कर की दर के लिए गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को दो लाख पचास हजार रुपए के बीजक मूल्य तक के साथ की गई अंतर राज्य पूर्ति ;

(ग) पूर्व में जारी बीजकों के लिए मास के दौरान जारी नामे और प्रत्यय टिप्पण, यदि कोई हों ।

(3) पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरों को इलैक्ट्रानिकी रूप में संबंधित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (प्राप्तिकर्ताओं) को **प्ररूप जीएसटीआर-2क** के भाग क, **प्ररूप जीएसटीआर-4क** और **प्ररूप जीएसटीआर-6क** के माध्यम से समान पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटीआर-1** फाइल करने के लिए सम्यक् तारीख के पश्चात् उपलब्ध कराया जाएगा ।

(4) प्राप्तिकर्ता द्वारा उसके धारा 38 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-2** या धारा 39 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-4** या **प्ररूप जीएसटीआर-6** में जोड़ी गई, सही की गई या लोप की गई आवक पूर्तियों के ब्यौरों को पूर्तिकार को इलैक्ट्रानिकी रूप में **प्ररूप जीएसटीआर-1क** के माध्यम से समान पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसा पूर्तिकार प्राप्तिकर्ता द्वारा किए गए उपांतरणों को या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा और पूर्तिकार द्वारा पहले प्रस्तुत **प्ररूप जीएसटीआर-1** उसके द्वारा स्वीकृत उपांतरणों के परिमाण तक संशोधित हो जाएगा ।

60. आवक पूर्तियों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति–(1) एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन किसी कर अवधि के दौरान प्राप्त मालों या सेवाओं की आवक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित है, **प्ररूप जीएसटीआर-2क** के भाग क, भाग ख और भाग ग में अंतर्विष्ट ब्यौरों के आधार पर ऐसे ब्यौरे तैयार करेगा जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है और उन्हें ऐसी अन्य आवक पूर्तियों के ब्यौरों को सम्मिलित करने के पश्चात्, यदि कोई हों, जिनकी धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, को समान पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटीआर-2** में प्रस्तुत करेगा ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ब्यौरों, यदि कोई हों, जिनकी **प्ररूप जीएसटीआर-2** में इलैक्ट्रानिकी रूप में धारा 38 की उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, प्रस्तुत करेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति आवक पूर्तियों को, जिनके संबंध में वह या तो पूर्णतया या भागत: पात्र नहीं है, को **प्ररूप जीएसटीआर-2** में इनपुट कर प्रत्यय के लिए विनिर्दिष्ट करेगा जहां ऐसी पात्रता का अवधारण बीजक स्तर पर किया जा सकता है ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जावक पूर्तियों, जो गैर-कराधेय पूर्तियों से संबंधित हैं या कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए हैं और जिनका **प्ररूप जीएसटीआर-2** में बीजक स्तर पर अवधारण नहीं किया जा सकता है, पर अपात्र इनपुट कर प्रत्यय की मात्रा को घोषित करेगा ।

(4क) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा नियम 63 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-5** में उसकी विवरणी में प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरों को **प्ररूप जीएसटीआर-2क** के भाग क में प्रत्यय के

प्राप्तिकर्ता को समान पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें **प्ररूप जीएसटीआर-2** में सम्मिलित कर सकेगा ।

(5) किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा नियम 65 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-6** में उसकी विवरणी में प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरों को **प्ररूप जीएसटीआर-2क** के भाग ख में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को समान पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें **प्ररूप जीएसटीआर-2** में सम्मिलित कर सकेगा ।

(6) किसी स्रोत पर कटौतीकर्ता द्वारा धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-7** में कटौती किए गए कर के ब्यौरों को **प्ररूप जीएसटीआर-2क** के भाग ग में, जिसकी कटौती की गई है उसको समान पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें **प्ररूप जीएसटीआर-2** में सम्मिलित कर सकेगा ।

(7) किसी ई-कामर्स प्रचालक द्वारा धारा 52 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-8** में स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरों को **प्ररूप जीएसटीआर-2क** के भाग ग में संबंधित व्यक्ति को समान पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें **प्ररूप जीएसटीआर-2** में सम्मिलित कर सकेगा ।

(8) **प्ररूप जीएसटीआर-2** में प्रस्तुत मालों या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों के ब्यौरों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा–

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों या गैर- रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त अंतर-राज्य और अंत:राज्य पूर्तियों के बीजकवार ब्यौरे ;

(ख) मालों और सेवाओं के किए गए आयात ; और

(ग) पूर्तिकार से प्राप्त नामे और प्रत्यय टिप्पण, यदि कोई हो ।

61. मासिक विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति—(1) एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति या कोई इनपुट सेवा वितरक या गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति या, यथास्थिति, धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट विवरणी **प्ररूप जीएसटीआर-3** में इलैक्ट्रानिकी रूप में, समान पोर्टल के माध्यम से सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन विवरणी के भाग क को इलैक्ट्रानिकी रूप में **प्ररूप जीएसटीआर 1, प्ररूप जीएसटीआर-2** के माध्यम से प्रस्तुत सूचना के आधार पर और पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए अन्य दायित्वों के आधार पर सृजित किया जाएगा ।

(3) उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय अन्य रकम के लिए इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही को या इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही को नामे डालकर अपने दायित्व का निर्वहन करेगा और विवरणी के भाग ख में **प्ररूप जीएसटीआर-3** में ब्यौरों को सम्मिलित करेगा ।

(4) धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिदाय का **प्ररूप जीएसटीआर 3** में विवरणी में भाग ख में दावा कर सकेगा और ऐसी विवरणी को धारा 54 के अधीन फाइल किया गया आवेदन समझा जाएगा ।

(5) जहां धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-1** और धारा 38 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर 2** में ब्यौरों को प्रस्तुत करने की समय-सीमा का विस्तार किया गया है और परिस्थितियां ऐसा चाहती हैं कि **प्ररूप जीएसटीआर-3** के स्थान पर **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी को ऐसी रीति में प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाए ।

62. प्रशमन पूर्तिकार द्वारा त्रैमासिक विवरणियों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति–(1) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर-4क** में अंतर्विष्ट ब्यौरों के आधार पर और जहां अपेक्षित हो, ब्यौरों में जोड़कर, उन्हें सही करके या उनका लोप करके **प्ररूप जीएसटीआर-4** में इलैक्ट्रानिकी रूप में समान पोर्टल के माध्यम से सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर, ब्याज, शास्ति, फीस या अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का निर्वहन इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही के नामे डालकर करेगा ।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणी में निम्नलिखित शामिल होंगे–

(क) रजिस्ट्रीकृत और गैर- रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक पूर्तियों के अंतर-राज्य और अंत:राज्य के बीजकवार ब्यौरे ;

(ख) की गई जावक पूर्तियों के एकीकृत ब्यौरे ;

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने वित्तीय वर्ष के आरंभ से धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प लिया है, जहां अपेक्षित हो, उस अवधि से संबंधित आवक और जावक पूर्तियों और नियम 59, नियम 60 और नियम 61 के अधीन विवरणी के ब्यौरे, जिसके दौरान वह व्यक्ति ऐसे ब्यौरे और विवरणियों को पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष के सितंबर मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख, जो भी पूर्वतर हो, प्रस्तुत करने के लिए दायी था, प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि व्यक्ति को पूर्तिकार से उसके द्वारा प्रशमन स्कीम का विकल्प लेने से पूर्व अवधि के लिए बीजकों या अन्य टिप्पणों पर इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो स्वेच्छा द्वारा प्रशमन स्कीम से हटने का विकल्प लेता है या जहां उचित अधिकारी की पहल पर विकल्प को वापिस ले लिया जाता है वहां आवश्यकता होने पर धारा 9 के अधीन कर के संदाय के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-4** में विकल्प लेने से पूर्व अवधि से उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के सितंबर मास को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख या पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख, जो भी पूर्वतर हो, तक के ब्यौरों को प्रस्तुत करेगा ।

63. अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति समान पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटीआर-5** में विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसके अंतर्गत जावक पूर्तियों और आवक पूर्तियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं तथा वह कर, ब्याज, शास्ति, फीस या इस अधिनियम के अधीन या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम का कर अवधि के अंत से 20 दिन के भीतर या रजिस्ट्रीकरण अवधि की विधिमान्यता के अंतिम दिन के पश्चात् से 7 दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, संदाय करेगा ।

64. ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति—भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति कलैंडर मास या उसके भाग के पश्चातवर्ती मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व **प्ररूप जीएसटीआर-5क** में विवरणी फाइल करेगा ।

65. इनपुट सेवा वितरक द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति–प्रत्येक इनपुट सेवा वितरक **प्ररूप जीएसटीआर-6क** में अंतर्विष्ट ब्यौरों के आधार पर और जहां अपेक्षित हो, ब्यौरों में जोड़ने के पश्चात् सही करने या ब्यौरों का लोप करने के पश्चात् इलैक्ट्रानिकी रूप में **प्ररूप जीएसटीआर-6** में विवरणी, जिसमें कर बीजकों के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जिन पर प्रत्ययन प्राप्त किया गया है तथा जिन्हें धारा 20 के अधीन जारी किया गया है, समान पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ।

66. ऐसे व्यक्ति से, जिससे स्रोत पर कर की कटौती करने की अपेक्षा है, द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति–(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम में कटौतीकर्ता कहा गया है) **प्ररूप जीएसटीआर-7** में इलैक्ट्रानिकी रूप में समान पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों को इलैक्ट्रानिकी रूप में प्रत्येक पूर्तिकार को और समान पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटीआर-2क** के भाग ग में **प्ररूप जीएसटीआर-4क** में प्ररूप **प्ररूप जीएसटीआर-7** फाइल करने की समयक् तारीख के पश्चात उपलब्ध कराया जाएगा ।

(3) धारा 51 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र को, **प्ररूप जीएसटीआर-7क** में समान पोर्टल के माध्यम से उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी के आधार पर इलैक्ट्रानिकी रूप में कटौतीकर्ता द्वारा जारी किया जाएगा ।

67. ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से पूर्तियों के विवरण को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति.-

(1) धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहीत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र से समान पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररुप जीएसटीआर-8 में विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसे प्रचालक के माध्यम से किए गए पूर्तियों के ब्यौरे तथा धारा 52 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार संग्रहीत कर की रकम अन्तर्विष्ट होगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे प्ररुप जीएसटीआर-8 के फाइल किए जाने की देय तारीख के पश्चात् समान पोर्टल पर प्ररुप जीएसटीआर-2क के भाग ग में प्रत्येक पूर्तिकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

68. विवरणियों के फाइल न करने वाले व्यक्तियों को सूचना.-प्ररूप जीएसटीआर-3क में सूचना, ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की जाएगी, जो धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 या 52 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

69. इनपुट कर प्रत्यय के दावे का सुमेलीकरण.-आवक पूर्तियों, जिनके अन्तर्गत धारा 41 के अधीन अनंतिम रूप से अनुज्ञात आयात भी हैं, पर इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे, **प्ररुप जीएसटीआर**-3 में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख के पश्चात्, धारा 42 के अधीन सुमेलित होंगे-

(क) पूर्तिकार की जीएसटी पहचान संख्या;

(ख) प्राप्तकर्ता की जीएसटी पहचान संख्या;

(ग) बीजक या नामे नोट संख्या;

(घ) बीजक या नामे नोट तारीख; और

(ङ) कर रकम:

परंतु जहां धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररुप जीएसटीआर-1 और धारा 38 के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररुप जीएसटीआर-2 को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई है वहा इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख भी तदनुसार बढ़ाई जाएगी:

परंतु यह और कि आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर आदेश द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए यह घोषणा की जाती है कि-

(i) प्ररुप जीएसटीआर-2 में उन बीजकों और नामे नोटों, जिन्हें संशोधन के बिना प्ररुप जीएसटीआर-2क के आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया था, की बाबत इनपुट कर प्रत्यय का दावा सुमेलित माना जाएगा यदि तत्स्थानी पूर्तिकार ने विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत की है;

(ii) इनपुट कर प्रत्यय का दावा यथा सुमेलित माना जाएगा जब दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम तत्स्थानी पूर्तिकार द्वारा ऐसे कर बीजक या नामे नोट पर संदत्त आउटपुट कर के बराबर है या उससे कम।

70. इनपुट कर प्रत्यय की अन्तिम स्वीकृति और उसकी संसूचना-

(1) धारा 42 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी कर अवधि की बाबत इनपुट कर प्रत्यय के दावे की अन्तिम स्वीकृति समान पोर्टल के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1** में ऐसा दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(2) किसी कर अवधि की बाबत इनपुट कर प्रत्यय का दावा, जिसे बेमेल के रूप में संसूचित किया गया है किन्तु पूर्तिकार या प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन के पश्चात्, सुमेलित पाया गया है, अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाएगा और समान पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1 में ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

71. इनपुट कर प्रत्यय के दावे की संसूचना और उसमें विसंगति का परिशोधन तथा इनपुट कर प्रत्यय दावे का उलट दिया जाना:-

(1) धारा 42 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी कर अवधि की बाबत इनपुट कर प्रत्यय के दावे में कोई विसंगति तथा ऐसी विसंगति के चालू रहने के कारण उक्त धारा की उप धारा (5) के अधीन जोड़े जाने के लिए दायी आउटपुट कर के ब्यौरे प्ररुप जीएसटीआर एमआईएस 1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसा दावा करने वाले प्राप्तिकर्ता और प्ररुप जीएसटीआर एमआईएस 2 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पूर्तिकार को समान पोर्टल के माध्यम से उस मास, जिसमें सुमेलीकरण किया गया हो, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

(2) ऐसा कोई पूर्तिकार, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले जावक पूर्तियों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।

(3) ऐसा कोई प्राप्तिकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले आवक पूर्तियों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।

(4) जहां विसंगति उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन परिशोधित नहीं की जाती है, वहां विसंगति के विस्तार तक रकम उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के उत्तरवर्ती मास के लिए प्ररुप जीएसटीआर-3 में प्रस्तुत की जाने वाली उसकी विवरणी में प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ी जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह घोषणा की जाती है कि

(i) किसी पूर्तिकार द्वारा परिशोधन से उसकी विधिमान्य विवरणी में आवक पूर्ति के ब्यौरों को जोड़ना या संशोधन करना अभिप्रेत है जिससे कि प्राप्तिकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी आवक पूर्ति के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;

(ii) किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन से आवक पूर्ति के ब्यौरों का हटाया जाना या उन्हें संशोधित किया जाना अभिप्रेत है जिससे कि पूर्तिकार द्वारा घोषित तत्स्थानी आवक पूर्ति के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;

72. एक बार से अधिक उसी बीजक पर इनपुट कर प्रत्यय का दावा:- आवक पूर्तियों के ब्यौरों में इनपुट कर प्रत्यय के दावों का दो बार किया जाना समान पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररुप जीएसटीआर एमआईएस-1 में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।

73. आउटपुट कर दायित्व में कटौती के दावों का सुमेलीकरण:- आउटपुट कर दायित्व में कटौती के दावे से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे प्ररुप जीएसटीआर-3 में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख के पश्चात् धारा 43 के अधीन सुमेलित किए जाएंगे:-

(क) पूर्तिकार की जीएसटीआर पहचान संख्या;
(ख) प्राप्तिकर्ता की जीएसटीआर पहचान संख्या;
(ग) जमा पत्र संख्या;
(घ) जमा पत्र की तारीख; और
(ङ) कर की रकम:

परंतु जहां धारा 37 के अधीन प्ररुप जीएसटीआर-1 और धारा 38 के अधीन **प्ररुप जीएसटीआर-2** को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई है वहां आउटपुट कर दायित्व में कटौती के दावे के सुमेलीकरण की तारीख तदनुसार बढ़ाई जाएगी:

परंतु यह और कि आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर आदेश द्वारा आउटपुट कर दायित्व के दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए यह घोषणा की जाती है कि-

(i) प्ररुप जीएसटीआर-1 में उन जमा पत्रों, जो प्ररूप जीएसटीआर-2क में बिना संशोधन के तत्स्थानी प्राप्तिकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए थे, के जारी किए

जाने के कारण आउटपुट कर दायित्व में कटौती का दावा सुमेलित माना जाएगा यदि उक्त प्राप्तिकर्ता ने विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत की है।

(ii) आउटपुट कर दायित्व में कटौती का दावा वहां सुमेलित समझा जाएगा जहां आउटपुट कर दायित्व की रकम दावा की गई कटौती को हिसाब में लेने के पश्चात्, उसकी विधिमान्य विवरणी में तत्स्थानी प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसे जमा पर स्वीकृत और उन्मोचित कटौती को हिसाब में लेने के पश्चात्, इनपुट कर दायित्व के दावे के बराबर है या उससे अधिक है।

74. इनपुट कर प्रत्यय की अन्तिम स्वीकृति और उसकी संसूचना- (1) धारा 43 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी कर अवधि की बाबत आउटपुट कर दायित्व में कटौती के दावे की अन्तिम स्वीकृति समान पोर्टल के माध्यम से प्ररूप और सेवा कर एमआईएस 1 में ऐसा दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) किसी ऐसी कर अवधि की बाबत आउटपुट कर दायित्व में कटौती का दावा, जिसे बेमेले दावे के रूप में संसूचित किया गया था किन्तु पूर्तिकार या प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन के पश्चात् सुमेलित पाया गया है, अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाएगा और समान पोर्टल के माध्यम से प्ररूप कोई जीएसटी एमआईएस-1 में ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

75. आउटपुट कर दायित्व की कटौती में विसंगति की संसूचना और उसका परिशोधन तथा कटौती के दावे का उलट दिया जाना:- (1) धारा 43 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावे में कोई विसंगति और ऐसी विसंगति के चालू रहने के कारण उक्त धारा की उप-धारा (5) के अधीन जोड़े जाने वाले आउटपुट कर दायित्व ब्यौरे **प्ररुप जीएसटी एमआईएस-1** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसा दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को और **प्ररुप जीएसटी एमआईएस-2** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्तिकर्ता को समान पोर्टल के माध्यम से उस मास, जिसमें सुमेलीकरण किया गया हो, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

(2) ऐसा कोई पूर्तिकार, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले जावक पूर्तियों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।

(3) ऐसा कोई प्राप्तिकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें ऐसी विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए परिशोधन किया जाने वाले आवक पूर्तियों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।

(4)जहां विसंगति उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन परिशोधित नहीं की जाती है, वहां विसंगति के विस्तार की रकम प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से विकलित की जाएगी तथा उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के उत्तरवर्ती मास के लिए प्ररुप जीएसटीआर-3 में दर्शायी जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह घोषणा की जाती है कि

(i) किसी पूर्तिकार द्वारा परिशोधन से उसकी विधिमान्य विवरणी में आवक पूर्ति के ब्यौरों का हटाया जाना या संशोधन करना अभिप्रेत है जिससे कि प्राप्तिकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी आवक पूर्ति के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;

(ii) किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन से आवक पूर्ति के ब्यौरों का जोड़ा जाना या उन्हें संशोधित किया जाना अभिप्रेत है जिससे कि पूर्तिकार द्वारा घोषित तत्स्थानी आवक पूर्ति के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;

76. एक बार से अधिक आउटपुट कर दायित्व में कटौती का दावा:- आवक पूर्तियों के ब्यौरों में आउटपुट कर दायित्व में कटौती के लिए दावों का दो बार किया जाना समान पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटीआर एमआईएस-1 में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।

77. उलट दिए गए दावों का पुनः दावा करने पर संदत्त ब्याज का प्रतिदाय:- धारा 42 की उप-धारा (9) या धारा 43 की उप-धारा (9) के अधीन प्रतिदाय किए जाने वाले ब्याज का दावा प्ररूप जीएसटीआर-3 में उसकी विवरणी में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और उसे प्ररूप जीएसटी पीएमटी-05 में उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा किया जाएगा तथा जमा की गई रकम ब्याज के लिए किसी भागीदारी के संदाय के लिए उपलब्ध होगी या कराधेय व्यक्ति धारा 54 के अधीन रकम के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा।

78. पूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों सहित ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों का सुमेलीकरण- प्ररूप जीएसटीआर-8 में यथा घोषित ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से पूर्तियों से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में पूर्तिकार द्वारा घोषित तदनुरूपी ब्यौरों के साथ सुमेलित होंगे-

(क) पूर्ति के स्थान का राज्य; और

(ख) शुद्ध कराधेय मूल्य:

परंतु जहां धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-1** प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है वहां ऊपर उल्लेखित ब्यौरों के सुमेलीकरण की तारीख तदनुसार बढ़ाई जाएगी।

परंतु यह और कि आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, आदेश द्वारा सुमेलीकरण की तारीख को उस तारीख तक बढ़ा सकेगा जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाए।

79. ई-वाणिज्य प्रचालक और पूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों में विसंगति की संसूचना और उसका परिशोधन:-(1) प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों में कोई विसंगति और पूर्तिकार द्वारा घोषित विसंगति **प्ररूप जीएसटी एमआईएस-3** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पूर्तिकार को और **प्ररूप जीएसटी एमआईएस-4** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-वाणिज्य प्रचालक को समान पोर्टल पर उस मास, जिसमें सुमेलीकरण किया गया है, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) ऐसा पूर्तिकार, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास के लिए, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, प्रस्तुत किए जाने वाले जावक पूर्तियों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।

(3) कोई प्रचालक, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास के लिए, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।

(4) जहां उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन कोई विसंगति परिशोधित नहीं की जाती है, वहां विसंगति के विस्तार तक रकम उस मास, जिसमें विसंगति के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाते हैं, से उत्तरवर्ती मास के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3** में उसकी विवरणी में पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ी जाएगी और उत्पादन कर दायित्व में ऐसा परिवर्धन तथा उस पर संदेय ब्याज **प्ररूप जीएसटी एमआईएस-3** में समान पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पूर्तिकार को उपलब्ध कराई जाएगी।

80. वार्षिक विवरणी:-(1) इनपुट सेवा वितरक धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति समान पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटीआर-9** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा:

परंतु धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर-9क** में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक **प्ररूप जीएसटीआर-9ख** में उक्त धारा की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(3) ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसकी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त दो करोड़ रूपये से अधिक है, धारा 35 की उप-धारा (5) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अपने खातों को संपरीक्षित कराएगा और वह प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप जीएसटीआर-9ग** में संपरीक्षित वार्षिक लेखों तथा सम्यकतः प्रमाणित समाधान विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

81. अन्तिम विवरणी.- धारा 45 के अधीन अन्तिम विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटीआर-10** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा।

82. विशिष्ट पहचान संख्या रखने वाले व्यक्तियों के आवक पूर्तियों के ब्यौरे:-(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई है और वह अपने आवक पूर्तियों पर संदत्त करों के प्रतिदाय का दावा करता है, या तो प्रत्यक्षतः समान पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऐसे प्रतिदाय दावे के लिए आवेदन के साथ **प्ररूप जीएसटीआर-11** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे संदत्त करों के प्रतिदाय से भिन्न प्रयोजनों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई है, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के आवक पूर्तियों के ब्यौरे, जिनकी कोई **प्ररूप जीएसटीआर-11** में उचित अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा।

83. जीएसटी व्यवसायी से सम्बन्धित उपबंध:- (1) **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01** में आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशन के लिए या तो प्रत्यक्षतः समान पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकेगा जो -

(क) (i) भारत का नागरिक है;

(ii) स्वस्थ चित्त का व्यक्ति है;

(iii) दिवाला के रूप में न्यायनिर्णीत नहीं है;

(iv) सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है;

(ख) जो किन्हीं निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, अर्थात्:

(i) वह किसी राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, भारत सरकार का सेवानिवृत्त अधिकारी है, जो सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान, दो वर्ष से अन्यून अवधि तक समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से अनिम्नतर पंक्ति के पद पर कार्य कर चुका था; या

(ii) उसे पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन विक्रय कर व्यवसायी या कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में अभ्यावेशित किया गया है;

(ग) उसने-

(i) स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय से वाणिज्य, विधि, बैंककारी, जिसके अन्तर्गत उच्चतर लेखा परीक्षा या व्यवसाय प्रशासन या व्यवसाय प्रबंधन भी है, में डिग्री रखता हो;

(ii) किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा, जो उप-खंड (i) में उल्लिखित डिग्री परीक्षा के समतुल्य है, उत्तीर्ण की हो; या

(iii) इस प्रयोजन के लिए परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या

(iv) जिसने निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अर्थात्:-

(क) भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान की अन्तिम परीक्षा, या

(ख) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की अन्तिम परीक्षा, या

(ग) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की अन्तिम परीक्षा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, या तो आवेदक को जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित करेगा और **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-02** में उस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगा या जहां यह पाया जाता है कि आवेदक माल या सेवा कर व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित किए जाने के लिए अर्हित नहीं है वहां उसके आवेदन को नामंजूर करेगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन किया गया अभ्यावेशन उसके रद्द किए जाने तक विधिमान्य होगा:

परंतु जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित कोई व्यक्ति अभ्यावेशित बने रहने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी अवधियों में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो परिषद की सिफारिश पर आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाएं, संचालित परीक्षा उत्तीर्ण नही कर लेता है:

परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिस पर उप-धारा (1) के खंड (ग) के उपबंध लागू होते हैं, अभ्यावेशित बने रहने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह नियत तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है।

(4) यदि कोई जीएसटी व्यवसायी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में अवचार का दोषी पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अवचार के विरूद्ध उसे **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-03** में कारण बताने की सूचना देने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी पीसीटी-04 में आदेश द्वारा उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् यह निदेश दे सकेगा कि वह अब से आगे जीएसटी व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए धारा 48 के अधीन निरर्हित होगा।

(5) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध उप-नियम (4) के अधीन आदेश किया जाता है, ऐसे आदेश के जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील को अपील कर सकेगा।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने विकल्प पर, **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05** में समान पोर्टल पर किसी जीएसटी व्यवसायी को प्राधिकृत कर सकेगा या, किसी भी समय, **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05** में ऐसे प्राधिकार को वापस ले सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी ऐसे कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो प्राधिकार की अवधि के दौरान उक्त प्राधिकार में उपदर्शित हो।

(7) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण उसके द्वारा प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वहां पुष्टि, ई मेल या एसएमएस पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से मांगी जाएगी और जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरण समान पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा:

परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे विवरण के प्रस्तुत किए जाने की अन्तिम तारीख तक पुष्टि के लिए किए गए अनुरोध का उत्तर देने में असफल रहता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरण की पुष्टि कर दी है।

(8) जीएसटी व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से किन्ही या सभी निम्नलिखित क्रिया-कलापों को आरम्भ कर सकता है, यदि उसे निम्नलिखित को करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो-

(क) जावक और आवक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना;
(ख) मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या अन्तिम विवरणी प्रस्तुत करना;
(ग) इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में प्रत्यय के लिए निक्षेप करना;
(घ) प्रतिदाय के लिए दावा फाइल करना; और
(ड) रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करना:

परंतु जहां प्रतिदाय के लिए दावे से सम्बन्धित कोई आवेदन या रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए कोई आवेदन रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वहां पुष्टि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से मांगी जाएगी और उक्त व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत आवेदन समान पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा तथा ऐसे आवेदन पर तब तक अगली कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके लिए अपनी सहमति नहीं दे देता है।

(9) जीएसटी व्यवसायी के माध्यम से अपनी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विकल्प देने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति-

(क) किसी जीएसटी व्यवसायी को उसकी विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05** में अपनी सहमति देगा;

(ख) जीएसटी व्यवसायी द्वारा तैयार किए गए किसी विवरण के प्रस्तुतीकरण को पुष्ट करने से पहले सुनिश्चित करेगा कि विवरणी में अंतर्विष्ट तथ्य सत्य और सही हैं।

(10) जीएसटी व्यवसायी-

(क) सम्यक तत्परता के साथ विवरण तैयार करेगा; और

(ख) उसके द्वारा तैयार किए गए विवरणों पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर करेगा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने प्रत्यायक का प्रयोग करते हुए सत्यापित करेगा।

(11) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अभ्यावेशित जीएसटी व्यवसायी को उप नियम (8) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अभ्यावेशित के रूप में समझा जाएगा।

84. हाजिरी के प्रयोजनों के लिए शर्तें-(1) कोई व्यक्ति किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में जीएसटी व्यवसायी के रूप में उपस्थित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह नियम 83 के अधीन अभ्यावेशित नहीं कर दिया गया हो।

(2) किसी प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने वाला जीएसटी व्यवसायी ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05 में ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्राधिकार की प्रति, यदि अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

अध्याय-9
कर का संदाय

85. इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर:- (1) धारा 49 की उप-धारा (7) के अधीन विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर समान पोर्टल पर कर, ब्याज, शास्ति, विलम्ब फीस या कोई अन्य रकम का संदाय करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति के लिए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01** में बनाया रखा जाएगा और उसके द्वारा संदेय सभी रकमें उक्त रजिस्टर में से विकलित की जाएंगी।

(2) व्यक्ति के विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से निम्नलिखित विकलित किया जाएगा-

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार कर, ब्याज, विलम्ब फीस के लिए संदेय कोई रकम या संदेय कोई अन्य रकम;

(ख) अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुसरण में उचित अधिकारी द्वारा यथा अवधारित या उक्त व्यक्ति द्वारा यथा अभिनिश्चित संदेय कर, ब्याज, शास्ति की रकम या कोई अन्य रकम;

(ग) धारा 42 या धारा 43 या धारा 50 के अधीन बेमेल के परिमाणस्वरूप संदेय कर और ब्याज की रकम;

(घ) ब्याज की कोई ऐसी रकम, जो समय-समय पर प्रोद्भूत हो।

(3) धारा 49 के अधीन उपबंधों के रहते हुए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसकी विवरणी के अनुसार प्रत्येक दायित्व का संदाय नियम 86 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता या नियम 87 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में से विकलित करके किया जाएगा और तदनुसार उसे इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।

(4) धारा 51 के अधीन कटौती की गई रकम या धारा 52 के अधीन संग्रहीत रकम या प्रतिलोम भार आधार पर संदेय रकम या धारा 10 के अधीन संदेय रकम, इस अधिनियम के अधीन ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम नियम 87 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में से विकलित करके संदत्त की जाएगी और तदनुसार उसे इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।

(5) इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से विकलित कोई रकम अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए अनुतोष की सीमा तक घटा दी जाएगी और तदनुसार इलेक्ट्रॉनिक कर दायित्व रजिस्टर में जमा की जाएगी।

(6) अधिरोपित या अधिरोपित किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम, यथास्थिति, भागतः या पूर्णतः घटा दी जाएगी, यदि कराधेय व्यक्ति कारण बताओ सूचना या मांग आदेश में विनिर्दिष्ट कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करता है और उसे तदनुसार इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।

(7) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक दायित्व खाते में किसी विसंगति को दिखाई पड़ने पर उसे **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04** में समान पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।

86. इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता:- (1) इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता समान पोर्टल पर अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए प्ररूप **जीएसटी पीएमटी-02** में बनाया रखा जाएगा और इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का प्रत्येक दावा उक्त खाते में जमा किया जाएगा।

(2) इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता धारा 49 के उपबंधों के अनुसार किसी दायित्व के उन्मोचन की सीमा तक विकलित किया जाएगा।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते से किसी अनुपयोजित रकम के प्रतिदाय का दावा किया है वहां दावे की सीमा तक रकम उक्त रजिस्टर में विकलित की जाएगी।

(4) यदि इस प्रकार फाइल किया गया प्रतिदाय, पूर्णतः या भागतः अस्वीकार कर दिया जाता है, अस्वीकृति की सीमा तक उप-नियम (3) के अधीन विकलित रकम **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03** में किए गए आदेश द्वारा उचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पुनः जमा की जाएगी।

(5) इस अध्याय के नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, किन्हीं भी परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में प्रत्यक्षतः कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में कोई विसंगति दिखाई पड़ने पर, उसे प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04 में समान पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिदावा नामंजूर समझा जाएगा, यदि अपील अन्तिम रूप से नामंजूर कर दी जाती है या यदि दावाकर्ता उचित अधिकारी को एक वचन दे देता है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा।

87. इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता :-(1) धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-05** में रखा जाएगा जो जमा की गई रकम को जमा करने के लिए और कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए उससे संदाय को विकलित करने के लिए समान पोर्टल पर कर, ब्याज, शास्ति, विलम्ब फीस या किसी अन्य रकम का संदाय करने का दायी है।

(2) कोई व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति समान पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06** में चालान तैयार करेगा और कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए उसके द्वारा जमा की जाने वाली रकम के ब्यौरे प्रविष्ट करेगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन निक्षेप निम्नलिखित ढंगों में से किसी ढंग के माध्यम से किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग;

(ii) प्राधिकृत बैंक के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड;

(iii) किसी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तविक समय सकल परि-निर्धारण;

(iv) नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा चालान, प्रति कर अवधि दस हजार रुपए तक निक्षेपों के लिए प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से काउंटर संदाय पर:

परंतु काउंटर संदाय पर के मामले में प्रति चालान दस हजार रुपये तक निक्षेप के लिए निर्बंधन निम्नलिखित द्वारा किए जाने वाले निक्षेप को लागू नहीं होगा:-

(क) सरकारी विभागों या व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कोई अन्य निक्षेप, जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(ख) किसी व्यक्ति से, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, परादेय शोध्यों, जिनके अन्तर्गत जंगम या स्थावर संपत्तियों की कुर्की या विक्रय के माध्यम से की गई वसूली भी है;

(ग) किसी अन्वेषक या प्रवर्तन क्रिया-कलाप के दौरान नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संगृहीत रकमों के लिए या किसी लंबे निक्षेप के लिए उचित अधिकारी या कोई प्राधिकृत अन्य अधिकारी

परंतु यह और कि समान पोर्टल पर तैयार किए गए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06** में चालान पन्द्रह दिन की अवधि के लिए वैध होगा।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि चालान में उपदर्शित किसी रकम का संदाय करने के लिए, ऐसे संदाय की बाबत संदेय कमीशन, यदि कोई हो, ऐसा संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।

(4) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किया जाने वाला अपेक्षित संदाय समान पोर्टल के माध्यम से तैयार किए गए अस्थायी पहचान संख्या के आधार पर किया जाएगा।

(5) जहां संदाय किसी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तिवक समय सकल निपटान ढंग के माध्यम से किया जाता है वहां अनिवार्य प्ररूप समान पोर्टल पर चालान के साथ तैयार किया जाएगा और उसे उस बैंक को, जहां से संदाय किया जाना है, प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु अनिवार्य प्ररूप चालान जनित किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के लिए वैध होगा।

(6) प्राधिकृत बैंकों में बनाए गए सम्बद्ध सरकारी खाते में रकम के सफल प्रत्यय पर, चालान पहचान संख्या संग्राही बैंक द्वारा तैयार की जाएगी और उसे चालान में उपदर्शित किया जाएगा।

(7) संग्राही बैंक से चालान पहचान संख्या के प्राप्त हो जाने पर उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी ओर से निक्षेप किया गया है और समान पोर्टल इस आशय की रसीद उपलब्ध कराएगा।

(8) जहां सम्बद्ध व्यक्ति या उसकी ओर से जमा करने वाले व्यक्ति का बैंक खाते में से विकलन किया जाता है किन्तु कोई चालान पहचान संख्या तैयार नहीं की जाती है या तैयार की जाती है किन्तु समान पोर्टल को संसूचित नहीं की जाती है तो वहां उक्त व्यक्ति समान पोर्टल के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-07** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक या इलेक्ट्रॉनिक गेटवे को अभ्यावेदन कर सकेगा जिसके माध्यम से निक्षेप की पहल की गई थी।

(9) धारा 51 के अधीन कटौती की गई या धारा 52 के अधीन संग्रहीत की गई और ऐसे रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा, जिससे, यथास्थिति, उक्त रकम की कटौती की गई थी या संग्रहीत की गई थी, **प्ररूप जीएसटीआर-02** में दावा की गई कोई रकम नियम 87 के उपबंधों के अनुसार उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी।

(10) जहां किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से किसी रकम के प्रतिदाय का दावा किया है, वहां उक्त रकम इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में से विकलित की जाएगी।

(11) यदि इस प्रकार दावा किया गया प्रतिदाय पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया जाता है तो उप-नियम (10) के अधीन विकलित रकम नामंजूर के विस्तार तक **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03** में किए गए आदेश द्वारा उचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी।

(12) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में कोई विसंगति दिखाई पड़ने पर, उसे **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04** में समान पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण: प्रतिदाय नामंजूर किया हुआ समझा जाएगा यदि अपील को अन्तिम रूप से नामंजूर कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिदाय को नामंजूर किया हुआ समझा जाएगा, यदि अपील को अन्तिम रूप से नामंजूर कर दिया जाता है या यदि दावेदार उचित अधिकारी को वचन देता है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा।

88. प्रत्येक संव्यवहार के लिए पहचान संख्या.-

(1) विशिष्ट पहचान संख्या, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद या प्रत्यय खाते में प्रत्येक विकलन या प्रत्यय के लिए समान पोर्टल पर तैयार की जाएगी।

(2) किसी दायित्व के उन्मोचन से सम्बन्धित विशिष्ट पहचान संख्या इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में तत्स्थानी प्रविष्टि में उपदर्शित की जाएगी।

(3) विशिष्ट पहचान संख्या उप-नियम (2) के अन्तर्गत आने वाले कारणों से भिन्न कारणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में प्रत्येक प्रयास के लिए समान पोर्टल पर तैयार की जाएगी।

अध्याय-10

प्रतिदाय

89. कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के प्रतिदाय के लिए आवेदन.-

(1) धारा 55 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के सिवाय, कोई व्यक्ति, जो भारत के बाहर निर्यातित माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है, से भिन्न, किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उसके द्वारा संदत्त किसी अन्य रकम के प्रतिदाय या तो प्रत्यक्षतः समान पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन फाइल कर सकेगा:

परंतु धारा 49 की उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अतिशेष से सम्बन्धित प्रतिदाय के लिए कोई दावा, यथास्थिति, **प्ररूप जीएसटीआर**-3 या **प्ररूप जीएसटीआर-4** या **प्ररूप जीएसटीआर-7** में सुसंगत कर अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी के माध्यम से किया जा सकेगा:

परंतु यह और भी कि विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को पूर्तियों की बाबत, प्रतिदाय के लिए आवेदन-

(क) जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा पृष्ठांकित प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए विशेष आर्थिक जोन में ऐसे माल को पूर्णतया स्वीकार किए जाने के पश्चात् माल के पूर्तिकार द्वारा;

(ख) जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा पृष्ठांकित प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए सेवाओं की प्राप्ति के बारे में ऐसे साक्ष्य के साथ सेवाओं के पूर्तिकार द्वारा फाइल किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि निर्यात के रुप में समझे जाने वाले पूर्ति के बाबत, आवेदन निर्यात समझे जाने वाले पूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा फाइल किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि किसी रकम का प्रतिदाय, रजिस्ट्रेशन के समय धारा 27 के अधीन उसके द्वारा जमा किए गए अग्रिम कर में से आवेदक द्वारा संदेय कर के समायोजन के पश्चात् उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित अंतिम विवरणी में दावाकृत की जाएगी ।

(2) उप नियम(1) के अधीन आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्यों जो लागू हो, यह स्थापित करने के लिए कि आवेदक को प्रतिदाय देय है, में से किसी के साथ, होगा:-

(क) आदेश की निर्देश संख्या और प्रतिदाय के रुप में दावा की गई धारा 107 की 35 धारा (6) और धारा 112 की उप धारा(8) में विनिर्दिष्ट रकम के संदाय की निर्देश संख्या या ऐसी प्रतिदाय जो उचित अधिकारी या किसी अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरुप हो, द्वारा पारित आदेश की प्रति;

(ख) ऐसा कथन जिसमें संख्या और पोत पत्र की तारीख या निर्यात पत्र और सुसंगत निर्यात बीजक की संख्या तथा तारीख होगी, उस दशा में जहां माल के निर्यात के संबंध में प्रतिदाय है;

(ग) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख तथा यथा स्थिति सुसंगत बैंक वसूली प्रमाण पत्र या विदेश आवक विप्रेषणादेश प्रमाण पत्र हैं, उस दशा में जहां प्रतिदाय सेवाओं के निर्यात के लिए है;

(घ) ऐसा कथन जिसमें नियम 26 में यथा प्रदत्त बीजक की संख्या और तारीख उप धारा(1) के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट पृष्ठांकन के संबंध में साक्ष्य के साथ है उस दशा में जहां विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को माल के पूर्ति के लिए है;

(ङ) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख, उप नियम (1) के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट के पृष्ठांकन के विषय में साक्ष्य तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन यथापरिभाषित प्राधिकृत प्रचालकों के लिए पूर्तिकार के प्राप्तकर्ता किए गए संदाय का ब्यौरा उसके सबूत के साथ, उस दशा में जहां प्रतिदाय विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को सेवाओं के पूर्ति के लिए है;

(च) इस आशय की घोषणा की विशेष आर्थिक जोन ईकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने माल या सेवाओं या दोनो के प्रतिदायकर्ता द्वारा संदत्त करके इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त नहीं किया है, उस दशा में प्रतिदाय जहां विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को माल या सेवाओं के पूर्ति के लिए है;

(छ) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख इस निमित्त अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य साक्ष्य के साथ है, उस दशा में जहां प्रतिदाय निर्यात समझे जाने वाले के बाबत है,

(ज) **प्ररुप जीएसटी आरएफडी**-01 के उपाबंध-1 में कोई कथन जिसमें प्राप्त तथा कर अवधि के दौरान जारी बीजकों की संख्या और तारीख है, उस दशा में जहां दावा धारा 54 की उप धारा (3) के अधीन किसी अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के संबंध में है और जहां प्रत्यय शून्य दर या पूर्णतः छूट प्राप्त पूर्तियों से भिन्न, जावक पूर्ति पर कर की दर से उच्चतर होने के कारण इनपुट पर कर की दर के कारण संचित किए जा चुके है;

(झ) अंतिम निर्धारण आदेश की निर्देश संख्या और उक्त आदेश की प्रति उस दशा में जहां प्रतिदाय अनंतिम निर्धारण को अंतिम रुप देने के संबंध में उत्पन्न होता है;

(ञ) अंतर-राज्य पूर्ति के रूप में समझे गए संव्यवहारों के ब्यौरों को दर्शित करता हुआ ऐसा कथन लेकिन जो पश्चातवर्ती रूप से अंतर-राज्य पूर्ति माना गया है ;

(ट) ऐसा कथन जो कर के अधिक संदाय के संबंध में दावे की रकम के ब्यौरे प्रदर्शित करता हो ;

(ठ) इस आशय की घोषणा कि कर का भाग, ब्याज या प्रतिदाय के रूप में दावा की गई कोई अन्य रकम किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की गई है, उस दशा में जहां प्रतिदाय की रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है :

परंतु यह कि घोषणा धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या (घ) या खंड (च) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में की जानी अपेक्षित नहीं है :

(ड) **प्रारुप जीएसटी आरएफडी - 01** के उपाबंध -2 में प्रमाण-पत्र जो किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट या लागत एकाउंटेंट द्वारा इस आशय में जारी किया जाएगा कि कर का भाग, ब्याज या प्रतिदाय के रूप में दावा की गई अन्य कोई रकम किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की गई है, उस दशा में जहां दावा किए गए प्रतिदाय की रकम दो लाख रुपए से अधिक हो;

परंतु यह कि घोषणा धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या (घ) या खंड (च) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में की जानी अपेक्षित नहीं है ;

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिए –

(i) धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रतिदाय की दशा में पद "बीजक" से धारा 31 के उपबंधों को पुष्ट करने वाला बीजक अभिप्रेत है :

(ii) जहां कर की रकम प्राप्तकर्ता से वसूल की जा चुकी है तो यह समझा जाएगा कि कर का भार वास्तविक उपभोक्ता पर चला गया है ।

(3) जहां आवेदन इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय से संबंधित है वहां इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही ऐसे दावा किए गए प्रतिदाय की रकम के बराबर आवेदक द्वारा विकलित किया जाएगा ।

(4) माल या सेवा या दोनों के शून्य-दर पूर्ति की दशा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में बचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार प्रदान किया जाएगा ।

प्रतिदाय रकम = (माल के शून्य दर पूर्ति का आवर्त + सेवा के शून्य दर पूर्ति का आवर्त) x निवल आई टी सी ÷ समायोजित कुल आवर्त

जहां :

(अ) "प्रतिदाय रकम" से अधिकतम प्रतिदाय जो अनुज्ञेय है, अभिप्रेत है ;

(आ) "शुद्ध आईटीसी" से सुसंगत अवधि के दौरान इनपुट और इनपुट सेवाओं पर लिया गया निवेश कर प्रत्यय अभिप्रेत है ;

(इ) "माल के शून्य दर पूर्ति का आवर्त" से वचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए माल के शून्य दर पूर्ति का मूल्य अभिप्रेत है ;

(ई) सेवा के शून्य दर पूर्ति का आवर्त" से वचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए सेवा के शून्य दर पूर्ति का मूल्य अभिप्रेत है जो निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा अर्थात्,

"सेवा के शून्य दर पूर्ति, सेवा के शून्य दर पूर्ति के लिए सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त किए गए संदायों और सेवा के शून्य दर पूर्ति जहां पूर्ति पूरा किया जा चुका है जिसके लिए संगत अवधि से पूर्व किसी अवधि में संदाय अग्रिम प्राप्त कर लिया गया है, के योग में से सेवाओं की शून्यदर पूर्ति, जिसके लिए संगत अवधि के दौरान सेवाओं की पूर्ति को पूरा नहीं किया गया है, के लिए प्राप्त अग्रिम घटाकर है;

(ङ) "समायोजित कुल आवर्त" से धारा 2 की उपधारा (112) के अधीन यथा परिगणित राज्य में सुसंगत अवधि के दौरान शून्य दर पूर्तियों से भिन्न छूट पूर्तियों के मूल्य को छोड़कर आवर्त अभिप्रेत है ;

(च) "सुसंगत अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए दावा किया गया है ।

(5) विपरीत शुल्क ढांचा के संबंध में निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूलों के अनुसार प्रदान किया जाएगा

अधिकतम प्रदिदाय रकम : [(माल की विपरीत दर पूर्ति का आवर्त) x शुद्ध आईटीसी समायोजित कुल आवर्त] माल के ऐसे विपरीत दर पूर्ति पर कराधेय कर ।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए पद "शुद्ध आईटीसी और समायोजित कुल आवर्त" से वह अर्थ समनुदेशित है जो उपनियम (4) में उनके लिए है।

90. अभिस्वीकृति--

(1) जहां आवेदन ईलैक्ट्रानिक बही खाते से प्रतिदाय के लिए दावे से संबंधित है वहां एक **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-02** में पावती समान पोर्टल इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी जिसमे प्रदिदाय के लिए दावे को फाईल करने की तारीख स्पष्ट रुप से इंगित की जाएगी और धारा 54 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट समय अवधि फाइल करने की ऐसी तारीख से गिनी जाएगी ।

(2) ऐसा प्रतिदाय के लिए आवेदन जो इलैक्ट्रानिक नकद बही से प्रतिदाय के लिए दावे से भिन्न है उचित अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा जो उक्त आवेदन के फाइल करने की 15 दिन की अवधि में इसकी पूर्णता के लिए आवेदन की संवीक्षा करेगा और जहां नियम 89 में उपनियम (2) (3)और (4) की शर्तों के अनुसार पूर्ण पाया जाता है तो **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-02** में एक पावती आवेदक को समान पोर्टल इलैक्ट्रोनिक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी जिसमें प्रतिदाय का दावा फाइल करने की तारीख स्पष्ट रुप से इंगित की जाएगी और धारा 54 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट समय अवधि से फाइल करने की ऐसी तारीख से गिना जाएगा ।

(3) जहां कोई कमियां संज्ञान में आई है वहां उचित अधिकारी आवेदक को **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-03** में समान पोर्टल से इलैक्ट्रानिक माध्यम से कमियों को सारणीत करेगा, ऐसी कमियों को सुधारने के बाद नए प्रतिदाय आवेदन को फाइल करने की उससे अपेक्षा करेगा ।

(4) जहां कमियां **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-03** में केन्द्रीय जीएसटी नियम के अधीन संसूचित की जा चुकी है वहां उनको उपधारा (3) के अधीन संसूचित कमियों सहित इस नियम के अधीन भी संसूचित किया समझा जाएगा ।

91. अंनतिम प्रतिदाय को प्रदान करना--

(1) धारा 54 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार अनंतिम प्रतिदाय इस दशा के अध्यधीन प्रदान किया जाएगा कि प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति कर अवधि जिससे संबंधित प्रतिदाय का दावा किया है, से तुरंत पूर्ववर्ती पांच वर्ष की किसी अवधि के दौरान इस अधिनियम या किसी विद्यमान विधि के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया गया है, जहां कर का अपवंचन दो सौ पचास लाख रुपए से अधिक है ।

(2) उचित अधिभारी दावो की संविक्षा के पश्चात और उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों तथा प्रथमदृष्या यह समाधान हो जाने पर कि उपनियम (1) के अधीन प्रतिदाय के रुप में दावा की गई रकम और धारा 54 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में आवेदक की शोध्य है, **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-04** में नियम 90 के उपनियम (1) और (2) के अधीन पावती की तारीख से सात दिन से अनधिक अवधि में अनंतिम आधार पर उक्त आवेदक को शोध्य प्रतिदाय की रकम की मंजूरी का आदेश करेगा ।

(3) उचित अधिकार उपनियम (2) के अधीन मंजूर रकम के लिए **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-05** में संदाय सूचना जारी करेगा और उसको उसके रजिस्ट्रेशन विशिष्टियों के निर्दिष्ट तथा प्रतिदाय के लिए आवेदन में यथा विनिर्दिष्ट आवेदक के किसी बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक रुप से प्रत्यय करेगा।

92. प्रतिदाय मंजूरी आदेश --

(1) जहां आवेदन की परीक्षा करने पर उचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन प्रतिदाय शोध्य है और आवेदक को संदेय है ; तो

वह **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-06** में प्रतिदाय की रकम जिसका वह हकदार है की मंजूरी का आदेश करेगा; यदि कोई, धारा 54 की उपधारा (6) के अधीन अंतिम आधार पर उसको प्रतिदाय किया जा चुका है तो अधिनियम या अन्य किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध रकम समायोजित की जाएगी और शेष रकम प्रतिदाय योग्य होगी :

परंतु यह कि उस दशा में जहां प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम या अन्य किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध पूर्णतः समायोजित हो गई है तो समायोजन के ब्यौरे का आदेश **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-07** के भाग क में जारी किया जाएगा ।

(3) जहां उचित अधिकारी का लिखित रुप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से समाधान हो गया है, कि प्रतिदाय के रुप में दावा की गई रकम का पूरा या कोई हिस्सा स्वीकार्य नहीं है या आवेदक को संदेय नहीं है, वह **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-08** में एक नोटिस आवेदक को जारी करेगा, उस नोटिस की प्राप्ति के पद्रंह दिनों की अवधि के भीतर **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-09** में उत्तर देने की अपेक्षा करेगा और उत्तर पर विचार करने के बाद, **प्ररुप एमजीएसटी आरएफडी-06** में, राशि की मंजूरी पूरे या भागतः या उक्त वापसी के दावे को खारिज करने के लिए एक आदेश करेगा और उक्त आदेश इलैक्ट्रानिक रुप में आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा और उप-नियम (1) के उपबंधों को यथा आवश्यक परिवर्तन के सहित प्रतिदाय की सीमा तक लागू होगी ।

परंतु यह यह कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रतिदाय के लिए कोई आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा ।

(4) जहां उचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप-नियम (1) या उप नियम (2) के अधीन प्रतिदाय धारा 54 की उप-धारा (8) के अधीन देय है, जो वह **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-06** में आदेश करेगा और **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-05** में प्रतिदाय की रकम के लिए संदाय सूचना जारी करेगा तथा उसे आवेदक के रजिस्ट्रीकृत विशिष्टियों विवरण में निर्दिष्ट और प्रतिदाय के लिए यथाविनिर्दिष्ट किसी भी बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक रुप से प्रत्यय किया जाएगा ।

(5) जहां उचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन प्रतिदाय की रकम धारा 54 के उप-धारा (8) के अधीन आवेदक को देय नहीं है तो वह **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-06** में आदेश करेगा और **प्ररुप जीएसटी**

आरएफडी-05 में प्रतिदाय की रकम उपभोक्ता कल्याण कोष में प्रत्यय की जाने की सूचना जारी करेगा।

93. अस्वीकृत प्रतिदाय दावे की रकम का प्रत्यय

(1) जहां नियम 90 की उप-नियम (3) के अधीन किसी भी कमी को सूचित किया गया है, वहां नियम 89 के उप-नियम (3) के अधीन विकलित की गई रकम को इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में पुनः प्रत्यय कर दिया जाएगा ।

(2) जहां किसी प्रतिदाय के रुप में दावा की गई कोई रकम नियम 92 के अधीन या तो पूरी तरह या आंशिक रुप से खारिज कर दी गई है, तो खारिज की सीमा तक विकलित की गई रकम, **प्ररुप जीएसटी पीएमटी-03** में खारिज किए गए आदेश द्वारा इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में पुनः प्रत्यय कर दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण.—इन नियमों के प्रयोजन के लिए कोई प्रतिदाय खारिज समझा जाएगा यदि अपील अंतिम रूप से खारिज कर दी गई है या दावाकर्ता ने उचित प्राधिकारी को लिखित में वचनपत्र दे दिया है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा ।

94. विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज मंजूरी आदेश–

जहां धारा 56 के अधीन आवेदक को कोई ब्याज शोध्य है और संदेय योग्य है तो उचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी आरफडी-05** में संदाय सूचना के साथ एक आदेश जिसमें प्रतिदाय की रकम जो विलंबित है, विलंब की अवधि जिसके लिए ब्याज संदेय है और संदेय ब्याज की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा तथा ब्याज की ऐसी रकम आवेदक के रजिस्ट्रकरण विशिष्टियों में निर्दिष्ट और प्रतिदाय के लिए आवेदन में यथाविनिर्दिष्ट बैंक के खातों में से किसी में इलैक्ट्रानिक रूप से प्रत्यय किया जाएगा ।

95. कतिपय व्यक्तियों के लिए कर का प्रतिदाय–

(1) धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार अपने आवक पूर्तियों पर उसके द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय के दावे के लिए पात्र कोई व्यक्ति प्रतिदाय के लिए **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10** में प्रतिदाय के लिए प्रत्येक तिमाही मे एक बार समान पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से चाहें सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित साहयता केन्द्र के माध्यम से प्ररूप **जीएसटीआर-11** में माल या सेवाओं या दोनों के आवक पूर्तियों के कथन सहित **प्ररूप जीएसटीआर-1** में तत्स्थानी पूर्तिकारों द्वारा आवक पूर्तियों के कथन के आधार पर तैयार रूप में आवेदन करेगा ।

(2) प्रतिदाय के लिए आवेदन की प्राप्ति की पावती प्ररूप **जीएसटी आरएफडी-02** जारी की जाएगी ।

(3) आवेदक द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध होगा यदि-

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से एक कर बीजक के विरुद्ध, माल या सेवा या दोनों के आवक पूर्तियों और संदत्त कर को छोड़कर, यदि कोई है, एकल कर बीजक के अधीन आने वाले पूर्ति का पांच हजार रुपए से अधिक मूल्य है ;

(ख) आवेदक का नाम और माल और सेवाकर संख्यांक या विशिष्ट पहचान संख्यांक कर बीजक में निर्दिष्ट है ; और

(ग) ऐसे अन्य निर्बंधन या दशाएं जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो पूरी करता हो ।

(4) नियम 92 के उपबंध यथाआवश्यक परिवर्तनों के अधीन इस नियम के अधीन प्रतिदाय की मंजूरी और संदाय को लागू होंगे ।

(5) जहां व्यक्त उपबंध संधि या अन्य अंतरराष्ट्रीय करार जिसमें राष्ट्रपति या भारत सरकार पक्षकार है, इस अध्याय के उपबंधों से असंगत है, तो ऐसी संधि या अंतरराष्ट्रीय करार लागू होगा ।

96. भारत के बाहर निर्यात किए गए माल पर एकीकृत कर का प्रतिदाय (1) किसी निर्यातकर्ता द्वारा फाइल किए गए पोतपत्र को भारत के बाहर, निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसा आवेदन केवल तब फाइल किया गया समझा जाएगा जब :--

(क) निर्यात माल का वहन करने वाले प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति सम्यक् रूप से पोत पत्रों या निर्यात पत्रों की संख्या और तारीख वाली कोई निर्यात माल सूची या निर्यात रिपोर्ट फाइल करता है ; और

(ख) आवेदक ने प्ररूप **जीएसटीआर-3** में विधिमान्य विवरणी दी है ।

(2) प्ररूप **जीएसटीआरी-1** में अन्तर्विष्टि सुसंगत निर्यात बीजकों के ब्यौरों को समान पोर्टल द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम पर परेषित किया जाएगा और उक्त सिस्टम इलैक्ट्रानिक रूप से समान पोर्टल को ऐसी पुष्टि पारेषित करेगा कि उक्त बीजकों के अन्तर्गत आने वाले माल का भारत से बाहर निर्यात किया गया है ।

(3) समान पोर्टल से प्ररूप **जीएसटीआर-3** में विधिमान्य विवरणी देने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम प्रतिदाय के दावे के लिए

कार्यवाही करेगा और प्रत्येक पोत पत्र या निर्यात पत्र के संबंध में सदृश एकीकृत कर के बराबर रकम को इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदक के रजिस्ट्रीकरण विशेषज्ञों में जोड़ेगा और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को यथा सूचित उसके बैंक खाते में जमा की जाएगी ।

(4) प्रतिदाय के दावे को वहां विधारित कर दिया जाएगा, जहां,

(क) केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता आयुक्त से धारा 54 की उपधारा (10) या उपधारा (11) के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति के प्रति देय संदाय को विधारित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है या

(ख) सीमाशुल्क उचित अधिकारी ने यह अवधारित किया है कि माल का निर्यात सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया है ।

(5) जहां उपनियम (4) के खंड (क) उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय विधारित किया जाता है वहां सीमाशुल्क स्टेशन का एकीकृत कर उचित अधिकारी आवेदक और यथास्थिति, केन्द्रीय कर अधिकारिता आयुक्त, राज्य कर अधिकारिता आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता आयुक्त को सूचित करेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति समान पोर्टल को पारेषित करेगा ।

(6) उपनियम (5) के अधीन सूचना के पारेषण पर, यथास्थिति, केन्द्रीय कर अचित अधिकारी, राज्य कर उचित अधिकारी या संघ राज्यक्षेत्र कर उचित अधिकारी प्ररूप **जीएसटी आरएफडी-07** के **भाग ख** में आदेश पारित करेगा ।

(7) जहां आवेदक उपनियम (4) के खंड (क) के अधीन विधारित रकम के प्रतिदाय का हकदार हो गया है वहां यथास्थिति, संबंधित केन्द्रीय कर अधिकारिता अधिकारी, राज्य कर अधिकारिता अधिकारी या संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता अधिकारी **जीएसटी आरएफडी-06** में आदेश पारित करने पश्चात् प्रतिदाय के लिए कार्यवाही करेगा ।

(8) केन्द्रीय सरकार, माल के ऐसे वर्ग के लिए जो इस निमित्त अधिसूचित किया जाए भुटान को निर्यात पर, भुटान सरकार को एकीकृत कर के प्रतिदाय का संदाय कर सकेगी और भुटान सरकार को ऐसा प्रतिदाय संदत्त किया जाता है वहां निर्यातकर्ता एकीकृत कर के किसी प्रतिदाय का संदाय नहीं करेगा ।

97. उपभोक्ता कल्याण निधि--

(1) उपभोक्ता कल्याण निधि को सभी प्रत्यय नियम 92 के उपनियम (5) के अधीन किए जाएंगे ।

(2) कोई रकम निधि को प्रत्यित किए जाने के लिए आदेशित या अंतिम प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के आदेशों द्वारा किसी दावाकर्ता को संदेय के रूप में निदेशित की जा चुकी है, निधि से संदत्त की जाएगी ।

(3) धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन उपभोक्ता कल्याण निधि से रकम का कोई प्रयोग उपभोक्ता कल्याण निधि लेखा से विकलन और खाते जिसमे रकम को प्रयोग के लिए अंतरित किया जाना है, में प्रत्यय द्वारा किया जाएगा ।

(4) सरकार, आदेश द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव और ऐसे अन्य सदस्यों जिनको ठीक समझे, सहित स्थायी समिति का गठन करेगी और समिति उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता कल्याण निधि को विकलित धन के उचित प्रयोग के लिए सिफारिश करेगी ।

(5) समिति जब आवश्यक हो बैठक करेगी किंतु तीन मास में एक बार से कम नही ।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अभिकरण या संगठन जो उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों में तीन वर्षों से लगा हुआ है जिसमें ग्राम या मंडल या उपभोक्ताओं के सहकारी स्तर समिति विशेषत: महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में परिभाषित कोई उद्योग जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुशंसित हो और पांच वर्षों से जीत्य और उपयोगी क्रियाकलापों में लगा हुआ है, जिसके द्वारा बहुउपयोग के उत्पादों के लिए मानक चिन्ह के विरचन के महत्वपूर्ण योगदान किया गया है या किया जाना है, सरकार या राज्य सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान देने के लिए आवेदन करेगी ।

परन्तु यह की उपभोक्ता विधिक व्यय, जो, उनके द्वारा उपभोक्ता विवाद में शिकायतकर्ता के रूप में उपगत किये गए हों, अंतिम निर्णय के उपरान्त, की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकता है ।

(7) उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान के लिए सभी आवेदन, आवेदक द्वारा सदस्य सचिव को किए जाएंगे लेकिन समिति किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक सदस्य सचिव सारभूत ब्यौरों की जांच न कर ले और विचार करने के पश्चात् अनुशंसा न दे दे ।

(8) समिति को शक्तियां होंगी-

(क) किसी आवेदक को अपने समक्ष, सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष ऐसी पुस्तकों, लेखओं, दस्तावेजों, लिखतों या आवेदक की अभिरक्षा या नियंत्रण

में माल को जैसा आवश्यक हो आवेदन के उचित मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(ख) किसी आवेदक को परिसर जिसमें उपभोक्ता कल्याण के लिए क्रियाकलापों का होने का दावा किया गया है, और किया जाना बताया गया है का सम्यक रूप से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, यथास्थिति सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी को प्रवेश और निरीक्षण के लिए अनुमति देने की अपेक्षा कर सकेगी ;

(ग) आवेदकों के संपरीक्षित लेखाओं को अनुदान के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए ले सकेगी ;

(घ) किसी आवेदक से किसी चूक के या उसके भाग पर किसी सारभूत सूचना के छिपाने की दशा में समिति को मंजूर अनुदान के एकमुश्त प्रतिदाय के लिए अपेक्षा कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन अभियोजित कर सकेगी ;

(ड) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किसी आवेदक से शोध्य रकम वसूल कर सकेगी ;

(च) किसी आवेदक या आवेदकों के वर्ग से आवर्तिक रिपोर्ट जो अनुदान के उचित प्रयोग को दर्शित करती हो को प्रस्तुत करने को कह सकेगी ;

(छ) ताथ्यिक असंगततओं या सारभूत विशिष्टियों मे त्रुटि होने पर उसके समक्ष प्रस्तुत किसी आवेदन को खारिज कर सकेगी ;

(ज) किसी आवेदक को अनुदान के द्वारा उसकी वित्तीय प्रास्थिति और उसके काम के अधीन क्रियाकलापों की प्रकृति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के पश्चात् प्रदत्त वित्तीय सहायता का दुरुउपयोग नही होगा न्यूनतम वित्तीय सहायता देने की सिफारिश कर सकेगी ;

(झ) लाभकारी और सुरक्षित सैक्टरों जहां उपभोक्ता कल्याण निधि का विनिधान किया जाना है को पहचान कर तदनुसार सिफारिश करेगी ;

(ञ) किसी आवेदक के उपभोक्त कल्याण क्रियाकलापों की अवधि के लिए अपेक्षित दशाओं को शिथिल करे सकेगी ;

(ट) उपभोक्ता कल्याण निधि के प्रबंधन, प्रशासन और संपरीक्षा के लिए दिशानिर्देश बना सकेगी ।

(9) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् और भारतीय मानक ब्यूरो, माल और सेवाकर परिषद् को उपभोक्ता कल्याण निधि से होने वाले व्यय के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं या प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देशो की सिफारिश कर सकेगी ।

अध्याय 11

निर्धारण और संपरीक्षा

98. अनंतिम निर्धारण(1) धारा 60 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अनंतिम आधार पर कर के संदाय के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किए गए सुविधा केन्द्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 01** में इलैक्ट्रानिक रूप से अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अपने आवेदन की समर्थन में अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 02** में नोटिस जारी करेगा और आवेदक **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 03** में नोटिस का जवाब फाइल करेगा और यदि वह अपेक्षा करता है तो उक्त अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा ।

(3) उचित अधिकारी या तो आवेदन अस्वीकृत करने के कारण बताते हुए आवेदन निरस्त करने या अनंतिम आधार पर कर का संदाय अनुज्ञात करते हुए, जिसमें अनंतिम आधार पर वह मूल्य या दर या दोनों दर्शित करते हुए निर्धारण अनुज्ञात किया जाना है तथा वह रकम जिसके लिए बंधपत्र निष्पादित किया जाना है और वह प्रतिभूति जो दी जानी है, जो बंधपत्र के अधीन आने वाली रकम के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, आदेश जारी करेगा ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 60 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 05** में एक बंधपत्र उपधारा (3) के अधीन यथा अवधारित रकम के लिए बैंक प्रत्यभूति के रूप में प्रतिभूति के साथ निष्पादित करेगा :

परन्तु केन्द्रीय/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उचित अधिकारी को प्रस्तुत किया गया बंध पत्र इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किया गया बंधपत्र समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजनों के लिए "रकम" पद में संव्यवहार के संबंध में संदेय एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम और उपकर सम्मिलित होगा ।

(5) उचित अधिकारी धारा 60 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए अपेक्षित जानकारी और अवलेखों को मांगने के लिए **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 06** में नोटिस जारी करेगा जिसमें **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 07** में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय या लौटाए जाने वाली कोई रकम यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट होगी ।

(6) आवेदक उपनियम (5) के अधीन आदेश जारी करने के पश्चात् उपनियम (4) के अधीन प्रस्तुत प्रतिभूति को निर्मुक्त करने के लिए **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 08** में आवेदन फाइल कर सकेगा ।

(7) उचित अधिकारी यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट रकम आवेदक द्वारा संदत्त कर दी गई है उपनियम (4) में प्रस्तुत की गयी प्रतिभूति को निर्मुक्त करेगा और उपनियम (6) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 09** में एक आदेश जारी करेगा ।

99. **विवरणियों की संवीक्षा**-- (1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कोई विवरणी संवीक्षा के लिए चयन की जाती है वहां उचित अधिकारी धारा 61 के उपबंधों के अनुसार उसकी संवीक्षा उसे उपलब्ध जानकारी के संदर्भ अनुसार करेगा और किसी विसंगति की दशा में वह उक्त व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 10** में नोटिस जारी करेगा और उसको ऐसी विसंगति के बारे में जानकारी देगा तथा नोटिस की तामीली की तारीख से तीस दिन के भीतर उससे स्पष्टीकरण मांगेगा और कर, ब्याज की रकम और ऐसी विसंगति के संबंध में संदेय अन्य किसी रकम का मांगकन करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन जारी नोटिस में वर्णित विसंगती को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति स्वीकृत कर सकेगा और ऐसी विसंगती से उद्भूत कर, ब्याज या किसी अन्य रकम का संदाय करेगा और उचित अधिकारी को **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 11** में विसंगती के लिए स्पष्टीकरण देगा या उसे सूचित करेगा ।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत जानकारी या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण स्वीकार्य पाया जाता है वहां उचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 12** में तदनुसार उसे सूचित करेगा ।

100. कतिपय मामलों में निर्धारण.– (1) धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन किया गया निर्धारण का आदेश **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 13** में जारी किया जाएगा ।

(2) उचित अधिकारी धारा 63 के उपबंधों के अनुसार कराधेय व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 14** में नोटिस जारी करेगा जिसमें वे आधार अन्तर्विष्ट होंगे जो

सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारण में प्रस्तावित है और ऐसे व्यक्ति को अपना उत्तर, यदि कोई है, देने के लिए पन्द्रह दिन का समय अनुज्ञात करने के पश्चात् **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 15** में आदेश जारी करेगा ।

(3) धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन संक्षिप्त निर्धारण का आदेश **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 16** में जारी किया जाएगा ।

(4) धारा 64 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 17** में संक्षिप्त निर्धारण को वापस लेने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा ।

(5) धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन के अस्वीकार होने या यथास्थिति, वापस लेने का आदेश **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 18** में जारी किया जाएगा ।

101. संपरीक्षा (1) धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन संपरीक्षा की अवधि एक वित्तीय वर्ष या उसका गुणक होगी ।

(2) जहां धारा 65 के उपबंधों के अनुसार किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की संपरीक्षा करने का विनिश्चय किया जाता है वहां उचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एडीटी - 1** में नोटिस उक्त धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार जारी करेगा ।

(3) उचित अधिकारी जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अभिलेखों और लेखा वहियों की संपरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत है, अधिकारियों की टीम और उसके साथ के पदधारियों की सहायता से वह दस्तावेज सत्यापित करेगा जिसके आधार पर लेखा वहियां अनुरक्षित की जाती हैं और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत विवरणी और कथन, अवर्त की सत्यता, दावा की गई छूटें और कटौतियां, मालों की पूर्ति या सेवाओं या दोनों के संबंध में लागू कर की दर, उपयोग और उपयोजित इनपुट कर प्रत्यय, दावा किया गया प्रतिदाय और अन्य सुसंगत मुद्दे तथा उसके संपरीक्षा टिप्पणों में अभिलेख और प्रेक्षण प्रस्तुत करेगा ।

(4) उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को विसंगतियां यदि कोई हों के बारे में सूचित कर सकेगा और उक्त व्यक्ति अपना उत्तर फाइल कर सकेगा तथा उचित अधिकारी दिए गए उत्तर पर विचार करने के पश्चात् संपरीक्षा के निष्कर्षों को अंतिम रूप देगा ।

(5) संपरीक्षा के समाप्त होने पर उचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एडीटी -2** में धारा 65 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संपरीक्षा के निष्कर्षों के बारे में सूचित करेगा ।

102. विशेष संपरीक्षा (1) जहां धारा 66 के उपबंधों के अनुसार विशेष संपरीक्षा करने की अपेक्षा है वहां उक्त धारा में निर्दिष्ट अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एडीटी 3** में उस निदेश जारी करेगा जिसमें वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त निदेश में विनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट द्वारा अभिलेखों की संपरीक्षा करवाने का निदेश देगा ।

(2) विशेष संपरीक्षा के समाप्त होने पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी एडीटी - 4** में विशेष संपरीक्षा के निष्कर्षों के बारे में सूचित किया जाएगा ।

अध्याय 12

अग्रिम विनिर्णय

103. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्यों की अर्हता और नियुक्ति केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त की पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्ति करेगी ।

104. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण को आवेदन करने का प्रारूप और रीति– (1) धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन समान पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एआरए-1** में किया जाएगा और उसके साथ पांच हजार रुपए की फीस संलग्न होगी जो धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति में जमा की जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, उसमें अंतर्विष्ट सत्यापन और ऐसे आवेदन के साथ संलग्न सभी सुसंगत दस्तावेज नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित होंगे ।

105. प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रतियों का प्रमाणीकरण– अग्रिम विनिर्णय की प्रति को, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के किसी सदस्य द्वारा उसके मूल की सही प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाएगा ।

106. अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण को अपील का प्ररूप और रीति–(1) आवेदक द्वारा, धारा 98 की उपधारा (6) के अधीन जारी अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील समान पोर्टल पर प्ररूप **जीएसटी आरए-2** में की जाएगी और उसके साथ दस हजार रुपए की फीस संलग्न होगी जो धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति में जमा की जाएगी ।

(2) धारा 98 की उपधारा (6) के अधीन जारी अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपील सामान्य पोर्टल पर प्ररूप **जीएसटी एआरए-3** में धारा 100 में निर्दिष्ट संबंधित अधिकारी या अधिकारित अधिकारी को कीजाएगी और अपील फाइल करने के लिए उक्त अधिकारी द्वारा कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट अपील, उसमे अंतर्विष्ट सत्यापन और ऐसी अपील के साथ संलग्न सभी सुसंगत दस्तावेजों को,-

(क) संबंधित अधिकारी या अधिकारिता वाले अधिकारी की दशा में, ऐसे अधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ; और

(ख) किसी आवेदक की दशा में, नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति से,

हस्ताक्षरित होंगे ।

107. प्राधिकारी द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रतियों की प्रमाणीकरण-- अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी द्वारा सुनाए गए और सदस्य द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अग्रिम विनिर्णय की प्रति,--

(क) आवेदक और अपीलार्थी को ;

(ख) केन्द्रीय कर और राज्यकर या संघ राज्यक्षेत्र कर के संबंधित अधिकारी को ;

(ग) केन्द्रीय कर और राज्यकर या संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारिता वाले अधिकारी को ; और

(घ) प्राधिकरण को,

अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार भेजी जाएगी ।

अध्याय 13

अपील और पुनरीक्षण

108. अपील प्राधिकारी को अपील.—**(1)**धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी को अपील **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 1** में सुसंगत दस्तावेजों के साथ इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा फाइल की जाएगी जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए और अपीलार्थी को तत्काल अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी ।

(2) प्ररूप जीएसटी एपीएल - 1 में यथा अन्तर्विष्ट अपील के आधार और सत्यापन का प्ररूप नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(3) उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, प्रस्तुत की जाएगी और तदोपरांत **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 02** में अंतिम अभिस्वीकृति जिसमें अपील संख्या दर्शित होगी अपील प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा :

परन्तु जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 01** को फाइल करने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाते है वहा अपील फाइल करने की तारीख अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख होगी और जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज सात दिन के पश्चात प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

स्पष्टीकरण– इस नियम के उपबंधों के लिए, अपील को तभी फाइल किया गया माना जाएगा जब अपील संख्या दर्शित करते हुए अंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाती है ।

109. अपील प्राधिकारी को आवेदन.– (1) अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 03** में अपील प्राधिकारी को आवेदन इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा प्रस्तुत किया जाएगा जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(2) उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, प्रस्तुत की जाएगी और अपील प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एक अपील संख्या जनित की जाएगी ।

110. अपील अधिकरण को अपील.-- (1) धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 05** में सुसंगत दस्तावेज़ के साथ अपील अधिकरण को अपील इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा जैसा रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित किया जाए, सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा और अपीलार्थी को तत्काल अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी ।

(2) अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (5) के अधीन **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 06** में अपील अधिकरण को तिर्यक आक्षेपों पर ज्ञापन तीन प्रतियों में रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा ।

(3) अपील और तिर्यक आक्षेपों पर ज्ञापन नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(4) उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, रजिस्ट्रार को जैसा कि उपनियम(5) में विहित है, फीस सहित प्रस्तुत की जाएगी और तदोपरांत **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 02** में अंतिम अभिस्वीकृति जिसमें अपील संख्या दर्शित होगी रजिस्ट्रार द्वारा जारी की जाएगी :

> परन्तु जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 05** को फाइल करने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख होगी और जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज सात दिन के पश्चात् प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।
>
> **स्पष्टीकरण**--इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अपील को तभी फाइल किया गया माना जाएगा जब अपील संख्या दर्शित करते हुए अंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाती है ।

(5) अपील फाइल करने या अपील प्रत्यावर्तन करने की फीस प्रत्येक एक लाख रुपए के कर या अन्तर्वलित इनपुट कर प्रत्यय या अन्तर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय के अन्तर अथवा अपील किए गए आदेश में अवधारित जुर्माना, फीस या शास्ति की रकम के लिए अधिकतम पच्चीस हजार रुपए के अध्याधीन, एक हजार रुपए होगी ।

(6) धारा 112 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट त्रुटियों को सुधारने के लिए अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के लिए कोई फीस नहीं होगी ।

111. अपील अधिकरण को आवेदन.--

(1) धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन **प्ररूप जीएसटी एपीएल 07** में अपील अधिकरण को समान पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा, सभी संलग्नकों सहित आवेदन किया जायेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर निर्णयादेश या अपील आदेश की सत्यापित प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, प्रस्तुत की जाएगी और रजिस्ट्रार द्वारा एक अपील संख्या जारी किया जाएगा ।

112. अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना

अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाय, यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान उसे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भिन्न कोई साक्ष्य चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, अर्थात :--

(क) जहां यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी ने साक्ष्य स्वीकार करने से इंकार कर दिया है जो स्वीकृत किए जाने चाहिए थे ; या

(ख) जहां यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य मंगवाए गए थे किन्तु अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से उन्हे प्रस्तुत करने मे असफल रहा ; या

(ग) जहां यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए अपील के आधार पर सुसंगत कोई साक्ष्य मंगवाए गए थे किन्तु अपीलार्थी पर्याप्त कारणो से उन्हें प्रस्तुत करने में असफल रहा ; या

(घ) जहां यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी ने अपीलार्थी को अपील के आधार पर सुसंगत कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, किया है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण अभिलेख में लिखित रूप मे उसे स्वीकार करने के कारण अभिलेखबद्ध नहीं करता है ।

(3) उपनियम (1) के अधीन कोई साक्ष्य नहीं लिया जाएगा यदि अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त अवसर अनुज्ञात नहीं किया जाता है :--

(क) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य या दस्तावेज का परीक्षण या किसी गवाह की प्रतिपरीक्षा ; या

(ख) उपनियम (1) के अधीन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के खंडन में कोई साक्ष्य या गवाह प्रस्तुत करना ।

(4) इस नियम में अन्तर्विष्ट कोई बात अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण की अपील को निपटाने में उसे समर्थ बनाने के लिए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी गवाह के परीक्षण को निदेशित करने की उसकी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।

113. अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण का आदेश.-- (1) अपील प्राधिकारी धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन अपने आदेश के साथ **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 04** में स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए कि मांग की अंतिम रकम की पुष्टि हो गई है, आदेश का संक्षिप्त सार जारी करेगा ।

(2) अधिकारिता अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 04** में स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए कि मांग की अंतिम रकम की पुष्टि अपील अधिकरण द्वारा हो गई है, आदेश का संक्षिप्त सार जारी करेगा ।

114. उच्च न्यायालय को अपील.-- (1) धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय को अपील **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 08** में फाइल की जाएगी ।

(2) प्ररूप जीएसटी एपीएल - 8 में यथा अन्तर्विष्ट अपील के आधार और सत्यापन का प्ररूप नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

115. **न्यायालय द्वारा मांग की पुष्टि**.-- अधिकारिता अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 04** में स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए कि मांग की अंतिम रकम की पुष्टि यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा हो गई है, कथन जारी करेगा ।

116. अपराधिकृत प्रतिनिधि के कदाचरण के लिए निर्हता.-- जहां अधिनियम की धारा 116 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न

कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि मामले की जांच करने पर अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों के संबंध में कदाचरण का दोषी पाया जाता है, वहां आयुक्त उसे सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होने से निलंबित कर देगा ।

अध्याय 14
संक्रमणकालीन उपबंध

117. नियत दिन पर स्टॉक में रखे माल पर किसी विद्यमान विधि के अधीन कर या शुल्क प्रत्यय का अग्रेषण– (1) धारा 140 के अधीन इनपुट कर के प्रत्यय को लेने का अधिकारी प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर **प्ररूप जीएसटी ट्रान-1** में सम्यक् रूप से हस्ताक्षर कर समान पोर्टल पर, जिसमें पृथक रूप से इनपुट कर प्रत्यय की रकम जिसका वह उक्त धारा के उपबंधों के अधीन हकदार है, विनिर्दिष्ट करते हुए इलैक्ट्रानिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह कि आयुक्त परिषद् की सिफारिश पर नब्बे दिन से अनधिक और अवधि द्वारा नब्बे दिन की अवधि की सीमा बढ़ा सकेगा ।

परंतु यह और कि धारा 140 की उपधारा (1) के अधीन दावे के मामले में आवेदन पृथक से निर्दिष्ट करेगा-

(i) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3) ,धारा 6 और धारा 6 क और धारा 8 की उपधारा (8) के अधीन आवेदक द्वारा किये गए दावो की मूल्य; और

(ii) केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के 12 में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग और/या च और प्ररूप ड और/या ज और प्ररूप झ में आवेदक द्वारा उपर्युक्त उपखंड (i) में संदर्भित दावो के समर्थन में दाखिल घोषणा और प्रमाण पत्र की क्रम संख्या और मूल्य;

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक घोषणा में--

(क) धारा 140 की उपधारा (2) के अधीन दावे की दशा में नियत दिन पर पूंजी माल के प्रत्येक मद की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां पृथक रूप से विनिर्दिष्ट की जाएंगी

(i) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के माध्यम से लभ्य या प्रयुक्त कर या शुल्क की रकम , और

(ii) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के माध्यम से अभी तक लभ्य या प्रयुक्त किए जाने वाले कर या शुल्क की रकम ;

(ख) धारा 140 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के खंड (ख) या उपधारा (6) या उपधारा (8) के अधीन दावे की दशा में नियत दिन पर रखे स्टॉक का ब्यौरा पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ग) धारा 140 की उपधारा (5) के अधीन दावे की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात् :--

(i) पूर्तिकार का नाम, क्रम संख्यांक और पूर्तिकार द्वारा बीजक को जारी करने तारीख या कोई दस्तावेज़ जिसके आधार पर इनपुट कर का प्रत्यय विद्यमान विधि के अधीन अनुज्ञेय था ;

(ii) माल या सेवा का वर्णन और मूल्य;

(iii) माल की दशा में मात्रा और इकाई या उस पर इकाई माप कोड;

(iv) पात्र कर और शुल्क की रकम यथास्थिति मूल्य वर्धित कर जो पूर्तिकार द्वारा माल या सेवाओं के बाबत प्रभारित किया गया है ; और

(v) वह तारीख जिसको माल या सेवाओं की रसीद प्राप्तकर्ता के खाते की पुस्तकों में प्रविष्ट की गई है ।

(3) प्ररूप **जीएसटी ट्रान-1** में आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की रकम समान पोर्टल पर प्ररूप **जीएसटी पीएमटी-2** में रखे गए आवेदक के इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही को प्रत्यायित की जाएगी ।

(4) (क) (i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल का स्टाक, जिस पर राज्य मे बिक्री के प्रथम बिंदु पर कर की देयता है और राज्य में उसकी पश्चातवर्ती बिक्री कर के अधीन नहीं है, धारित करता है, धारा 140 की उपधारा (3) के परंतुक के अनुसरण मे नियत दिन पर स्टॉक में रखे माल जिसके बाबत मूल्यवर्धित कर के संदाय करने के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज़ उसके पास नहीं है, माल पर इनपुट कर प्रत्यय को लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ii) ऐसा प्रत्यय, ऐसे माल पर, नियत दिन के पश्चात् ऐसे माल के पूर्ति पर जिस पर राज्य कर नौ या अधिक प्रतिशत की दर से है, साठ प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय

होगा और अन्य माल पर लागू राज्य कर के चालीस प्रतिशत की दर से होगा तथा ऐसी पूर्ति के संदत्त किए जाने पर राज्य कर के संदाय के पश्चात प्रत्यर्पित किया जाएगा ।

परंतु यह कि जहां समेकित कर ऐसे माल पर संदत्त है वहां प्रत्यर्पण की रकम क्रमशः तीस प्रतिशत और उक्त कर के बीस प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय होगी ;

(iii) यह स्कीम नियत दिन से छह: कर अवधियों के लिए उपलब्ध होगी ।
(ख) राज्य कर का ऐसा प्रत्यय निम्नलिखित दशाओं को पूरा करने के अधीन प्राप्य होगी, अर्थात्:--

(i) ऐसा माल उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पूर्णतः करमुक्त नहीं थे ;
(ii) ऐसे माल के प्रापण के दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास उपलब्ध है;
(iii) इस स्कीम का लाभ उठाने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अधिनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में उसके द्वारा रखे माल का ब्यौरा प्ररूप **जीएसटी ट्रान-2** में छह: कर अवधियों के प्रत्येक के अंत पर जिसके दौरान स्कीम परिचालनीय है, कर अवधि के दौरान ऐसे माल की पूर्ति के ब्यौरे इंगित करते हुए कथन प्रस्तुत करेगा ;
(iv) अनुज्ञात प्रत्यय की रकम समान पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी 2 में रखे गए आवेदक के इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही को प्रत्यर्पित की जाएगी , और
(v) माल का स्टॉक जिसको प्रत्यय उपलब्ध है, इस प्रकार भंडारित है कि यह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है ।

118. धारा 142 की उपधारा (11) के खंड (ग) के अधीन की जाने वाली घोषणा– प्रत्येक व्यक्ति जिस पर धारा 142 की उपधारा (11) के खंड (ग) के उपबंध लागू हैं नियत दिन के नब्बे दिन की अवधि में **प्ररूप जीएसटी ट्रान-1** में पूर्ति का अनुपात जिसको नियत दिन से पूर्व मूल्य वर्धित कर संदत्त किया जा चुका है लेकिन पूर्ति नियत तारीख के बाद की गयी है और उस पर अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय की घोषणा प्रस्तुत करेगा ।

119. प्रधान और अभिकर्ता द्वारा रखे स्टॉक की घोषणा-- प्रत्येक व्यक्ति जिसको धारा 142 की उपधारा (14) के उपबंध लागू हैं नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 में एक घोषणा इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके द्वारा नियत दिन पर रखे इनपुट का स्टॉक, अर्ध तैयार माल या तैयार माल जो लागू हो विनिर्दिष्ट करते हुए घोषणा करेगा ।

120. अनुमोदन के आधार पर भेजे माल के ब्यौरे-- प्रत्येक व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन अनुमोदन पर माल भेजना है और जिसको धारा 142 की उपधारा (12) लागू है, नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी ट्रान 1 के अनुमोदन पर भेजे गए ऐसे माल के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा ।

121. गलत रूप से प्राप्त किए गए प्रत्यय की वसूली-- नियम 117 के उपनियम (3) के अधीन प्रत्यय की गई रकम सत्यापित की जाएगी और पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी गलत तरीके से प्राप्त किसी प्रत्यय के बाबत धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्यवाहियां यथास्थिति शुरु की जाएंगी ।

अध्याय 15
मुनाफाखोरी-रोधी

122. **प्राधिकरण का गठन**.-- प्राधिकरण परिषद् द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित से मिलकर बनेगा--

(क) अध्यक्ष जिसने भारत सरकार के सचिव की श्रेणी के समतुल्य पदधारण किया है या किया हो

(ख) चार तकनीकी सदस्य जो राज्य कर आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त है या रहा है या जिसने विद्यमान विधि के अधीन समतुल्य पद धारण किया है या किया हो

123. **स्थायी समिति और छानबीन समिति का गठन**:--(1) परिषद राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट, ऐसे अधिकारियों से मिलकर मुनाफाखोरी रोधी स्थायी समिति का गठन कर सकेगा ।

(2) राज्य स्तरीय छानबीन समिति राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य में गठित की जाएंगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-

(क) आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया गया, राज्य सरकार का कोई अधिकारी और

(ख) मुख्य आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया गया, केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी ।

124. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधनों और शर्तें:– (1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थायी समिति जिसका गठन परिषद्/बोर्ड द्वारा प्रयोजन के लिए किया गया है, की सिफारिशों पर होगी ।

(2) अध्यक्ष को 2,25,000 (नियत) मासिक वेतन संदत्त किया जाएगा और अन्य भत्ते और फायदे यथाग्राह्य है जैसे कि केन्द्रीय सरकार में पदधारण किए अधिकारी को समान वेतन में दिए जा रहे हैं ।

परंतुक यह कि जहां कोई सेवानिवृत्त अधिकारी अध्यक्ष के रूप में चयनित होता है उसे रु0 2,25000/- का मासिक वेतन में से पेंशन की रकम घटाकर संदत्त किया जाएगा ।

(3) तकनीकी सदस्य को 2,05,400 (नियत) मासिक वेतन संदत्त किया जाएगा और वह भत्ते आहरित करने का हकदार होगा जैसे कि भारत सरकार के समूह 'क' पदधारित अधिकारी को समान वेतन में ग्राह्य है ।

परंतु यह कि जहां कोई सेवानिवृत्त अधिकारी तकनीकी सदस्य के रूप में चयनित होता है उसे रु0 2,05,400/- का मासिक वेतन में से पेंशन की रकम घटाकर संदत्त किया जाएगा ।

(4) अध्यक्ष, उस तारीख से जिससे उन्होंने कार्यभार संभाला है, से दो वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, जो भी पहले हो और पुन:नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चयनित नहीं होगा, यदि उसकी आयु बासठ वर्ष की हो चुकी है ।

(5) प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य, उस तारीख से जिससे उन्होंने कार्यभार संभाला है, से दो वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, जो भी पहले हो और पुन:नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में चयनित नहीं होगा यदि उसकी आयु बासठ वर्ष की हो चुकी है ।

125. **प्राधिकरण का सचिव.**— बोर्ड के अधीन रक्षोपाय अपर महानिदेशक, प्राधिकरण का सचिव होगा ।

126. **पद्धति और प्रक्रिया अवधारित करने की शक्ति:**— प्राधिकरण यह अवधारण करने के लिए कि क्या माल या सेवाओं के पूर्ति पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय पर फायदे, मूल्य में कटौती की अनुरूपता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्तिकर्ता को पहुंच रहे हैं, पद्धति और प्रक्रिया को अवधारित कर सकता है ।

127. **प्राधिकरण के कर्तव्य:**— (1) प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि यह अवधारित करे कि क्या किसी माल या सेवाओं के पूर्ति पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्य में कटौती की अनुरूपता द्वारा प्राप्तिकर्ता को पहुंच रहे हैं;

(2) प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि वह उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की पहचान करे जो माल या सेवाओं के पूर्ति पर कर में कटौती के फायदे या ईनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता को नहीं पहुंचा रहा है;

(3) प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि

(क) वह मूल्यों में कटौती का आदेश दे;

(ख) प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से होने वाली रकम के समकक्ष रकम, उच्च दर पर रकम संगृहित करने की तारीख से वापिस करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित प्राप्तिकर्ता को वापिस करने का आदेश दे; या वसूली की रकम वापस नहीं की गई है, यथास्थिति उस दशा में जहां पात्र व्यक्ति वापस की गई रकम पर दावा नहीं करता है या पहचान नहीं हुई है और धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में समान रूप से जमा करेगा ।

(ग) अधिनियम के अधीन यथाविहित शास्ति अधिरोपित करना; और

(घ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण को रद्द करना ।

128. **स्थायी समिति और छानबीन समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण:**— (1) स्थायी समिति, किसी हितबद्ध पक्षकार या आयुक्त या किसी अन्य व्यक्ति से, उनके द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट रूप और रीति में लिखित आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदन में उपबंधित साक्ष्य की यथार्थता और यथायोग्यता का परीक्षण करेगी जिससे यह अवधारित किया जा सके कि क्या आवेदक का दावा कि किसी माल या सेवा के पूर्ति में कर की दर में कटौती या ईनपुट कर प्रत्यय का फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक नहीं पहुंच पाया है, दावे के समर्थन के लिए क्या प्रथम दृष्टया साक्ष्य है ।

(2) स्थानीय प्रकृति के मामलों पर हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त सभी आवेदनों को प्रथमतः राज्य स्तरीय छानबीन समिति और छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा. यह समाधान होने पर कि पूर्तिकार ने धारा 171 के उपबंधों का उल्लंघन किया है, उसकी सिफरिशों सहित आवेदन को स्थायी समिति के पास अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रेषित करेगा ।

129. **आरंभ और कार्यवाहियों के परिचालन के सिद्धांत**:-- (1) जहां स्थायी समिति ने अपना समाधान कर लिया है कि वहां दिखाने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि पूर्तिकार द्वारा माल और सेवाओं के पूर्ति पर कर की दर में कटौती का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक नहीं पहुंचा पाया है, मामले को ब्यौरेवार अन्वेषण के लिए रक्षोपाय महानिदेशालय को निर्दिष्ट करेगी ।

(2) रक्षोपाय महानिदेशालय अन्वेषण संचालित करेगा और क्या माल या सेवाओं के किसी पूर्ति पर कर की दर में कोई कटौती या इनपुट कर प्रत्यय पर फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक पहुंचा है, आवश्यक साक्ष्य संगृहित करेगा ।

(3) रक्षोपाय महानिदेशालय, अन्वेषण के आरंभ से पूर्व, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित यथायोग्य सूचना अंतर्विष्ट है, अर्थात् :--

(क) माल या सेवाओं का विवरण जिसके संदर्भ में कार्यवाहियां आरंभ की गई है;

(ख) तथ्यों के विवरण का सार जिस पर आरोप आधारित है;

(ग) हितबद्ध व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों को जिनके पास उनके उत्तर के लिए कार्यवाहियों से संबंधित सूचना हो सकती है अनुज्ञात समय सीमा ।

(4) रक्षोपाय महानिदेशालय ऐसे अन्य व्यक्तियों जो मामले में ऋजु जांच के लिए उपयुक्त समझे गए हैं, को सूचना जारी कर सकेगा ।

(5) रक्षोपाय महानिदेश, उसके समक्ष कार्यवाहियों में भाग ले रही किसी एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा अन्य हिबद्ध पक्षकारों को दिए गए साक्ष्यों को को उपलब्ध करवाएगा

(6) रक्षोपाय महानिदेशालय स्थायी समिति से निर्देश की प्राप्ति से तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि जो आगे तीन मास की अवधि से अनधिक हो के लिए स्थायी समिति से यथा अनुज्ञात लिखित में दिए गए कारणों द्वारा अन्वेषण पूर्ण करेगा और अन्वेषण के पूर्व होने पर, सुसंगत अभिलेखों के साथ उनके निष्कर्ष की एक रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपेगा ।

130. सूचना की गोपनीयता:-- (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 11 के उपबंध, नियम 129 के उपनियम (3) और (5) और नियम 131 के उपनियम (2) में अन्य बातों के साथ अंतर्विष्ट होते हुए भी, किसी जानकारी के सपष्टीकरण को जो सूचना गोपनीयता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी ।

(2) रक्षोपाय महानिदेशालय, पक्षकार जो गोपनीयता के आधार पर जानकारी दे रहे हैं, से गैर-गोपनीय सार देने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि, ऐसी जानकारी देने वाले पक्षकार की यह राय है कि ऐसी जानकारी का सार नहीं किया जा सकता, ऐसे पक्षकार रक्षोपाय महानिदेशालय को, कि क्यों सार करना संभव नहीं है के कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं;

131. अन्य अभिकरणों या कानूनी प्राधिकरणों के साथ सहयोग:-- जहां रक्षोपाय महानिदेशालय ठीक समझे, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अन्य अभिकरण या कानूनी प्राधिकारण की राय मांग सकता है ।

132. साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को समन करने की शक्ति: (1) रक्षोपाय महानिदेशालय को किसी व्यक्ति को समन करने की शक्ति प्रयोग करने के लिए या धारा 70 के अधीन कोई अन्य चीज के लिए आवश्यक है, के लिए उचित अधिकारी समझा जाए और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अधीन सिविल न्यायालय की दशा में यथा उपबंधित, उसी रीति में जांच की शक्ति होगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सभी ऐसी जांच, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193 और 228 के अर्थ के अंतर्गत "न्यायिक कार्यवाहियां" समझी जाएं ।

133. प्राधिकरण का आदेश.-- (1) प्राधिकरण, रक्षोपाय महानिदेशालय से रिपोर्ट प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अवधारित करेगा कि क्या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के पूर्ति पर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक पहुचाऐं हैं ।

(2) जहां ऐसे हितबद्ध पक्षकारों से लिखित में कोई प्रार्थना प्राप्त होती है, प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को सुनने का एक अवसर प्रदान करेगा ।

(3) जहां प्राधिकरण यह अवधारित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के पूर्ति पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय को मूल्यों में कटौती की अनुस्पता से प्राप्तिकर्ता नहीं पहुंचाया है, प्राधिकरण .

(क) मूल्यों में कटौती का आदेश कर सकेगा;

(ख) प्राप्तिकर्ता को, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से होने वाली रकम के समकक्ष रकम, उच्च दर पर रकम संग्रहित करने की तारीख से वापिस करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित, वापिस करने का आदेश दे सकेगा; यथा स्थिति उस दशा में जहां पात्र व्यक्ति ने वापिस की रकम प्राप्त करने का दावा नहीं किया है या अभिज्ञेय नहीं है, वसूली का आदेश दे सकेगा और उसे धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में निक्षेप करेगा ।

(ग) अधिनियम के अधीन यथाविहित शास्ति का अधिरोपण; और

(घ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण ।

134. **बहुमत द्वारा विनिश्चय.**-- यदि प्राधिकरण के सदस्यों की राय किसी बिंदु पर भिन्न है, बिंदु बहुमत की राय अनुसार विनिश्चित होगा

135. **रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुपालना.**-- इन नियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश की अनुपालना तुरंत रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जिसके न होने पर, यथास्थिति एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या अपने-अपने राज्यों के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अनुसार रकम वसूलने की कारवाई आरंभ की जाएगी ।

136. **आदेश की मानीटरी.**-- प्राधिकरण, उसके द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिए किसी केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर प्राधिकरण की अपेक्षा कर सकता है ।

137. **प्राधिकरण की अवधि.**--परिषद्, उस तारीख से जब से अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला था, से दो वर्ष के पश्चात् अस्तित्वहीन हो जाएगी, जब तक कि परिषद् अन्यथा सिफारिश न करे ।

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के प्रयोजन के लिए,

(क) "प्राधिकरण" से नियम 122 के अधीन गठित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "समिति" से नियम 123 के उपनियम (1) के निबंधनों में परिषद द्वारा गठित मुनाफाखोरी रोधी स्थायी समिति अभिप्रेत है;

(ग) "हितबद्ध पक्षकार" जिसके अंतर्गत--

क. कार्यवाहियों के अधीन माल और सेवाओं के पूर्तिकार ; और

ख. कार्यवाहियों के अधीन माल और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता ;

(घ) "छानबीन समिति" से नियम 123 के उपनियम (2) के निबंधनों में गठित राज्य स्तरीय छानबीन समिति अभिप्रेत है ।

अध्याय 16
ई-वे नियम

सरकार, ऐसे समय तक जब तक कि ई-वे बिल प्रणाली परिषद द्वारा विकसित और अनुमोदित नहीं की जाती है, अधिसूचना द्वारा उन दस्तावेजों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिन्हे उस व्यक्ति द्वारा जो प्रवहण जिसमें माल का परेषण किया जा रहा है, संचलन या अभिवहन भंडारण में माल ले जाने के दौरान अपने पास रखेगा ।

आज्ञा से

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या :511 /2017/XXVII(8)//9(120)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बंधित अधिकारीयों, कर अधिवक्ताओ व करदाताओं को अवगत करा दें ।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूडकी जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिंदी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग- 8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3. भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4. अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एनआईसी, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव